31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियां)

हिमाचल प्रदेश सरकार

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियां)

हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		**v**
विहंगावलोकन		**vii-ix**
पहला अध्याय: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
बजट आकलनों व वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं	1.2	4
संग्रहणों का विश्लेषण	1.3	5
संग्रहण लागत	1.4	6
प्रति निर्धारिती बिक्री कर संग्रहण	1.5	6
बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.6	7
बकाया निर्धारण	1.7	8
कर अपवंचन	1.8	9
प्रत्यर्पण	1.9	9
लेखापरीक्षा परिणाम	1.10	10
उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा सरकार के हितों की रक्षा करने में वरिष्ठ कर्मचारियों की विफलता	1.11	10
विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें	1.12	12
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों का राज्य सरकार द्वारा उत्तर	1.13	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति	1.14	12
स्वीकृत मामलों के राजस्व की वसूली	1.15	13
दूसरा अध्याय: बिक्री कर		
लेखापरीक्षा परिणाम	2.1	14
रियायत की गलत अनुमति देने के कारण अवनिर्धारण	2.2	15
व्यापारियों का पंजीकरण न करने के कारण कर का अनुद्ग्रहण	2.3	15
आय का गलत निर्धारण करना	2.4	16
दर को गलत लागू करने के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण	2.5	16
ब्याज का अनुद्ग्रहण	2.6	17
कर का अल्पोद्ग्रहण	2.7	18
बिक्री कर का अपवंचन	2.8	18

तीसरा अध्याय: राज्य आबकारी एवं वाहन कर		
लेखापरीक्षा परिणाम	3.1	20
लाईसैंस फीस के विलम्ब से किए गए भुगतान पर ब्याज की अवसूली/अल्प वसूली	3.2	21
सांकेतिक कर की अवसूली	3.3	21
विशेष पथकर का भुगतान न करना/अल्प भुगताना करना	3.4	22
गलत दरें लागू करने के कारण सांकेतिक कर का अल्पोद्ग्रहण	3.5	23
सांकेतिक कर की अनियमित छूट	3.6	24
सरकारी धन का अनुचित अवरोधन	3.7	24
यात्री कर तथा माल कर की अवसूली	3.8	25
आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न किये गये वाहन	3.9	25
चौथा अध्याय: वन प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा परिणाम	4.1	27
इमारती लकड़ी के कम निस्सारण के कारण अल्प वसूली	4.2	28
बाड़ स्तम्भों की लागत प्रभारित न करना	4.3	28
निवल वर्तमान मूल्य की अवसूली	4.4	29
विस्तार फीस का अनुद्ग्रहण	4.5	29
आयतन के गलत मूल्यांकन गुणनखण्ड (कारक) लागू करने के कारण अल्प वसूली	4.6	30
बाल वृक्षों की लागत को प्रभारित न करना/अल्प प्रभारित करना	4.7	31
सावधि जमा में निधियां न रखने के कारण ब्याज हानि	4.8	32
देवदार ठूंठ भागों का वजन न करने के कारण राजस्व हानि	4.9	33
पर्यावरणीय मूल्य हेतु क्षतिपूर्ति की अवसूली	4.10	33
रॉयल्टी में अनियमित छूट प्रदान करना	4.11	34
राजस्व की अल्प वसूली	4.12	35
पांचवा अध्याय: अन्य कर/कर-भिन्न प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा परिणाम	5.1	36
(क) उद्योग विभाग (भू-वैज्ञानिक स्कंध)		
समीक्षा: **"हिमाचल प्रदेश में खनिजों से सम्बन्धित प्राप्तियां"**	5.2	37

(ख) स्टॉप शुल्क तथा पंजीकरण फीस		
आवास ऋणों पर गलत छूट	5.3	51
स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण न करना	5.4	51
सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण	5.5	52
(ग) सामान्य प्रशासन विभाग		
अनाधिकृत अधिभोगियों से क्षतिपूर्ति की वसूली न करना	5.6	54
(घ) सहकारिता विभाग		
सरकारी शेयर पूंजी का मोचन न करना/अल्प मोचन करना	5.7	54

प्रस्तावना

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। इस प्रतिवेदन में राज्य के बिक्री कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन कर, यात्री व माल कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2006-07 में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामले तथा पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगोचर हुए परन्तु विगत वर्षों के प्रतिवेदनों में स्थान न पा सकने वाले मामले उल्लिखित हैं।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में करों, शुल्कों, फीस, ब्याज तथा शास्ति, आदि के 82.38 करोड़ रू0 की राशि के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण से सम्बन्धित एक समीक्षा सहित 32 परिच्छेद हैं। कुछ मुख्य निष्कर्ष निम्नांकित हैं:-

1. सामान्य

- सरकार की वर्ष 2006-07 की कुल प्राप्तियां 7,835.22 करोड़ रू0 थी। 2,993.23 करोड़ रू0 की राजस्व प्राप्तियों में 1,656.38 करोड़ रू0 कर राजस्व के तथा 1,336.85 करोड़ रू0 कर-भिन्न राजस्व के सम्मिलित थे। राज्य ने विभाज्य संघीय करों में से राज्यांश के रूप में 629.16 करोड़ रू0 तथा अनुदान के रूप में 4,212.83 करोड़ रू0 भारत सरकार से प्राप्त किए। कर प्राप्तियों का मुख्य भाग बिक्री, व्यापार, आदि पर कर (914.45 करोड़ रू0), राज्य आबकारी (341.86 करोड़ रू0), वाहन कर (106.35 करोड़ रू0), माल व यात्री कर (50.22 करोड़ रू0), स्टाम्प व पंजीकरण फीस (92.47 करोड़ रू0) तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क (30.43 करोड़ रू0) से प्राप्त हुआ। कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियां विद्युत (910.08 करोड़ रू0), ब्याज प्राप्तियां (87.18 करोड़ रू0), वानिकी तथा वन्य प्राणी (45.55 करोड़ रू0) तथा अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग (48.39 करोड़ रू0) से थीं।

(परिच्छेद 1.1)

- 31 मार्च 2007 को राजस्व के 13 प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत बकाया राजस्व 430.10 करोड़ रू0 था, जिसमें से 99.29 करोड़ रू0 बिक्री, व्यापारादि पर कर से सम्बन्धित थे।

(परिच्छेद 1.6)

- वर्ष 2006-2007 के दौरान बिक्री कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल व यात्री कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 959 मामलों में 108.19 करोड़ रू0 की राशि के अवनिर्धारण/अल्पोदग्रहण/राजस्व हानि का पता चला। वर्ष 2006-07 के दौरान सम्बद्ध विभागों ने अवनिर्धारण आदि के 66.67 करोड़ रू0 के 1,329 मामले स्वीकार किये जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था।

(परिच्छेद 1.10)

2. बिक्री कर

- सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना में 23 अपंजीकृत व्यापारियों ने 6.56 करोड़ रू0 मूल्य की खैर की लकड़ी एक फर्म को बेची परन्तु 1.48 करोड़ रू0 के बिक्री कर का उद्ग्रहण नहीं किया। व्यापारियों को पंजीकृत नहीं किया गया था यद्यपि प्रत्येक व्यापारी की बिक्री 4 लाख रू0 से अधिक थी।

(परिच्छेद 2.3)

- कर योग्य बिक्री के गलत निर्धारण करने तथा करों की गलत दरें लागू करने के फलस्वरूप चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने ब्याज सहित 69.34 लाख रू0 के कर का उद्ग्रहण नहीं किया/अल्पोद्ग्रहण किया।

(परिच्छेद 2.4 एवं 2.5)

3. राज्य आबकारी एवं वाहन कर

- 2005-06 वर्ष के दौरान पांच जिलों के नौ लाईसैंसधारियों के लाईसैंस फीस, ब्याज तथा शास्ति की मासिक किस्तों का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप 86.15 लाख रू0 के सरकारी देयों की वसूली नहीं हुई/अल्पवसूली हुई।

(परिच्छेद 3.2)

- 1.83 करोड़ रू0 का सांकेतिक कर न तो 2,992 वाहन मालिकों द्वारा अदा किया गया तथा न ही 29 पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई।

(परिच्छेद 3.3)

- छः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में विशेष पथ कर का भुगतान न करने/अल्प भुगतान करने तथा शास्ति का उदग्रहण न करने के फलस्वरूप 0.96 करोड़ रू0 के सरकारी देयों की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.4)

- पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारी पांवटा साहिब ने पंजीकरण फीस, सांकेतिक कर, लाईसैंस फीस, आदि के कारण संग्रहित की 41.92 लाख रू0 की राशि को विलम्ब से जमा करवाया। इसीप्रकार शिमला कार्यालय में संग्रहित किए गए कुल 9.71 लाख रू0 की परमिट फीस में से 9.60 लाख रू0 विलम्ब से जमा करवाए गए तथा 0.11 लाख रू0 बिल्कुल भी जमा नहीं करवाए गए। सरकारी धन को जमा करवाने में 2 और 289 दिनों के मध्य का विलम्ब था।

(परिच्छेद 3.7)

4. वन प्राप्तियां

- पांच वन मण्डलों में वन भूमि के कुल 9,281.9546 हैक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण तथा जलागम क्षेत्र सुधार योजना हेतु उपयोगकर्ता अभिकरणों से बाड़ स्तम्भों की लागत प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप बिक्री कर सहित 7.63 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 4.3)

- सात वन मण्डलों में निवल वर्तमान मूल्य का उदग्रहण न करने के परिणामस्वरूप 1.29 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 4.4)

- दो वन मण्डलों में राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम के पक्ष में वन भूमि के अपवर्तन के लिए पर्यावरणीय मूल्य सम्बन्धी 21.56 करोड़ रू0 की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 4.10)

- छः वन मण्डलों में चील प्रजाति के 7, 378 वृक्षों की कीमत संशोधित दरों पर प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप 1.98 करोड़ रू0 के सरकारी राजस्व की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.12)

5. अन्य कर/ कर-भिन्न प्राप्तियां

"**हिमाचल प्रदेश में खनिजों से सम्बन्धित प्राप्तियों**" पर समीक्षा से निम्नवत् तथ्य प्रकट हुए:

- एक पट्टाधारी के पक्ष में सतह अधिकारों का अर्जन/हस्तांतरण करने में विलम्ब होने के फलस्वरूप परियोजना के संचालन का प्रारम्भ करने में स्थगन हुआ, जिसके फलस्वरूप राज्य का राजकोष 51.47 करोड़ रू0 के प्रत्याशित राजस्व से वंचित रहा।

(परिच्छेद 5.2.10)

- अंतर्राज्यीय सीमा पर खड्ड का सीमांकन करने में विलम्ब तथा खनिजों को अवैध रूप से निकालने के फलस्वरूप अप्रैल 2003 से मार्च 2006 के दौरान लगभग 8.40 करोड़ रू0 के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 5.2.16)

- हमीरपुर जिला की नदी की सतहों/खड्डों में कार्य करने से सम्बन्धित व्यवहार्यता प्रतिवेदनों का कार्यान्वयन न करने के फलस्वरूप अप्रैल 2004 से मार्च 2006 के दौरान 6.43 करोड़ रू0 की सीमा तक राजस्व में कमी हुई।

(परिच्छेद 5.2.20)

- 22 उप-पंजीकारों में सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण करने तथा गलत परता तैयार करने के फलस्वरूप 365 मामलों में 2.75 करोड़ रू0 के स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 5.5)

पहला अध्याय: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006-07 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर-भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों में राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े निम्नांकित हैं:-

(करोड़ रूपए)

क्र0सं0	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
I.	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व					
	• कर राजस्व	889.57	984.33	1,251.88	1,497.02	1,656.38
	• कर-भिन्न राजस्व	175.49	291.76	610.77	689.67	1,336.85
	योग	1,065.06	1,276.09	1,862.65	2,186.69	2,993.23
II.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघीय करों का राज्यांश	345.60	449.54	537.32	493.26	629.16[α]
	• सहायता अनुदान	2,248.09	2,255.29	2,234.54	3,878.67	4,212.83
	योग	2,593.69	2,704.83	2,771.86	4,371.93	4,841.99
III.	राज्य की कुल प्राप्तियां	3,658.75	3,980.92	4,634.51	6,558.62	7,835.22
IV.	I से III की प्रतिशतता	29	32	40	33	38

α विवरण के लिए कृपया वर्ष 2006-2007 के हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में "विवरणी संख्या 11-लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे" देखें। क-कर राजस्व के अंतर्गत वित्त लेखों में पुस्तांकित आंकड़े मुख्य शीर्षों "0020-निगम कर"; "0021-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर" ; "0028-आय तथा व्यय पर अन्य कर ; "0032-सम्पत्ति कर" ; "0037-सीमा शुल्क;" "0038-संघीय आबकारी शुल्क"; "0044-सेवा कर" तथा "0045-पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क" ; तथा "901 राज्यों को सुपुर्द किए गए निवल आगमों का हिस्सा" के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए राजस्व से निकाल दिए गए तथा विभाज्य संघीय करों के राज्यांश में सम्मिलित किए गए हैं।

1.1.1 विगत चार वर्षों के आंकड़ों सहित वर्ष 2006-07 के दौरान जुटाए गए कर-राजस्व के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-)की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	383.34	436.75	542.37	726.98	914.45	(+) 26
2.	राज्य आबकारी	273.42	280.12	299.90	328.97	341.86	(+) 4
3.	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	37.40	52.37	75.34	82.43	92.47	(+) 12
4.	विद्युत कर व शुल्क	0.25	16.67	88.00	89.29	30.43	(-) 66
5.	वाहन कर	81.98	78.37	107.82	101.51	106.35	(+) 5
6.	माल व यात्री कर	31.45	33.96	38.32	42.61	50.22	(+) 18
7.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	77.13	86.98[α]	97.54[β]	124.10[χ]	118.65[δ]	(-) 4
8.	भू-राजस्व	4.60	0.84	2.30	1.09	1.91	(+)75
	योग	889.57	986.06[α]	1.251.59[β]	1,496.98[χ]	1,656.34[δ]	(+) 11

निम्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों में महत्वपूर्ण अन्तर था जिसके लिए सम्बद्ध विभागों द्वारा बताए गये कारण निम्नांकित थे:-

बिक्री, व्यापार, आदि पर कर:- वृद्धि मुख्यत: पैट्रोल, डीजल, विमान टरबाइन ईंधन, सीमेंट, टॉयरों तथा ट्यूबों, दवाईयों, विद्युत मदों, इत्यादि में कर प्राप्तियों के कारण हुई, सामान की कीमतों में वृद्धि तथा वैल्यू ऐडिड टैक्स के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्टॉफ/उड़न दस्ते द्वारा लगातार की जा रही जांच के प्रभाव, के कारण हुई।

स्टॉम्प तथा पंजीकरण फीस:- वृद्धि भूमि बाजार लागत में बढ़ौतरी, उद्योगों हेतु भूमि की अधिक बिक्री, दस्तावेजों के अधिक पंजीकरण तथा स्टॉम्प की बिक्री के कारण हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्क:- 2006-07 से सम्बन्धित वर्ष का विद्युत शुल्क आगामी वर्ष में जमा करवाने के कारण कमी आई।

पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क:- पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क: कमी मुख्यत: नवम्बर 2005 से व्यावसायिक कर वापिस लेने के कारण थी ।

भू-राजस्व:- वृद्धि मुख्यत: बंजर भूमि के विक्रयागम के संदर्भ में और प्राप्तियों तथा अधिक अदायगी की वसूली के कारण थी ।

[α] राज्य को निवल प्राप्ति का 1.73 करोड़ रू0 का भाग सम्मिलित है

[β] राज्य को निवल प्राप्ति के भाग का (-)0.29 करोड़ रू0 निकाल कर

[χ] राज्य को निवल प्राप्ति के भाग का (-)0.04 करोड़ रू0 निकाल कर

[δ] राज्य को निवल प्राप्ति के भाग का (-)0.04 करोड़ रू0 निकाल कर

1.1.2 विगत चार वर्षों के आंकड़ों सहित वर्ष 2006-07 के दौरान जुटाए गए मुख्य कर-भिन्न राजस्व के ब्यौरे निम्नांकित हैं:-

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियां	9.97	11.35	42.77	49.29	87.18	(+) 77
2.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	66.21	101.51	89.59	151.41	122.84	(-)19
3.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	31.52	76.93	102.17	149.63	45.55	(-) 70
4.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	35.46	36.84	38.42	42.90	48.39	(+)13
5.	विविध सामान्य सेवाएं (लाटरी प्राप्तियों सहित)	2.81	1.81	1.86	2.13	73.86	(+) 3368
6.	विद्युत	(-) 0.08	35.01	284.71	251.47	910.08	(+) 262
7.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	0.06	0.06	0.09	0.44	0.21	(-) 52
8.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	3.10	3.36	3.70	5.31	5.38	(+) 1
9.	सहकारिता	1.68	1.44	1.64	1.68	7.28	(+) 333
10.	लोक निर्माण कार्य	6.82	7.54	9.08	12.07	16.50	(+) 37
11.	पुलिस	7.87	8.08	7.74	8.98	8.45	(-) 6
12.	अन्य प्रशासकीय सेवाएं	10.07	7.83	29.00	14.36	11.13	(-)22
	योग	175.49	291.76	610.77	689.67	1,336.85	(+) 94

निम्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों में महत्वपूर्ण अन्तर था जिसके लिए सम्बद्ध विभागों द्वारा बताए गए कारण निम्नांकित थे:

वानिकी एवं वन्य प्राणी: कमी कुछ राशि को सीएएमपीए निधि में प्रतिपूरक वनारोपण हेतु जमा करवाने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम से कम प्राप्तियों के कारण हुई।

अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग: वृद्धि मुख्यत: लघु तथा मुख्य खनिजों के अधिक दोहन/उत्पादन के कारण हुई।

विविध सामान्य सेवाएं: वृद्धि मुख्यत: बारहवें वित्तायोग की सिफारिश पर ऋण अधित्याग के समायोजन के कारण हुई।

विद्युत:- वृद्धि मुख्यत: विभिन्न परियोजनाओं से रॉयल्टी की प्राप्ति, मैसर्ज पॉवर ट्रेडिंग इण्डिया लिमिटेड से उच्चतर दरों के माध्यम से विद्युत की बिक्री (मुफ्त लागत पर प्राप्त)तथा इस वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 में विद्युत बिक्री की दर में कमी होने के कारण हुई।

सहकारिता:- वृद्धि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा सहायता अनुदान की प्रतिपूर्ति होने तथा पूंजीगत निवेश की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में परिवर्तित करने के कारण हुई।

लोक निर्माण कार्य:- वृद्धि राज्य सरकार, आदि के अन्य विभागों से भवनों के निर्माण हेतु जमा निर्माण कार्य के अन्तर्गत अधिक धन की प्राप्ति के कारण हुई।

विचलनों के कारण अन्य विभागों से मांगने पर भी प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2007)।

1.2 बजट आकलनों व वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं

कर तथा कर-भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 हेतु बजट आकलनों व वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य विभिन्नता निम्नांकित हैं:-

(करोड़ रूपए)

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियां	विभिन्नताएं आधिक्य(+) अथवा कमी (-)	विभिन्नताएं प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	780.00	914.45	(+) 134.45	(+) 17
2.	राज्य आबकारी	330.00	341.86	(+)11.86	(+) 4
3.	माल व यात्री कर	40.00	50.22	(+) 10.22	(+) 26
4.	वाहन कर	110.00	106.35	(-) 3.65	(-) 3
5.	पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	105.05	118.65	(+) 13.60	(+) 13
6.	स्टाम्प व पंजीकरण फीस	86.95	92.47	(+) 5.52	(+) 6
7.	विद्युत पर कर व शुल्क	52.00	30.43	(-) 21.57	(-) 41
8.	भू-राजस्व	1.68	1.91	(+)0.23	(+) 14
9.	उद्योग	5.06	24.68	(+) 19.62	(+) 388
10.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	98.02	45.55	(-) 52.47	(-) 54
11.	ब्याज प्राप्तियां	12.19	87.18	(-) 74.99	(+) 615
12.	शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति	37.46	42.33	(+) 4.87	(+) 13
13.	कृषि कर्म (बागवानी सहित)	4.68	4.00	(-) 0.68	(-) 15
14.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	36.99	48.39	(+) 11.40	(+) 31
15.	आवास	2.26	2.01	(-)0.25	(-)11
16.	मत्स्य पालन	0.91	0.74	(-)0.17	(-)19
17.	जलापूर्ति व स्वच्छता	18.58	13.39	(-) 5.19	(-) 28
18.	पुलिस	8.84	8.45	(-)0.39	(-)4
19.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	4.78	5.38	(+) 0.60	(+) 13
20	लेखन सामग्री व मुद्रण	3.44	3.76	(+) 0.32	(+) 9
21.	लोक निर्माण कार्य	9.54	16.50	(+) 6.96	(+) 73
22.	पशुपालन	0.39	0.41	(+) 0.02	(+) 5
23.	विद्युत	400.00	910.08	(+) 510.08	(+) 128

बजट आकलनों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य पाए गए विचलनों के संदर्भ में सम्बन्धित विभागों द्वारा बताए गए कारण निम्नांकित थे:

माल व यात्री कर:- वृद्धि मुख्यत: प्लॉस्टिक तथा लोहे के सामान के अधिक परिवहन की अधिक प्राप्ति, वाहनों की संख्या में वृद्धि, कर अपवंचन मामलों का पता लगाने तथा बकाया राशियों की वसूली के कारण हुई।

पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क:- पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियों की वृद्धि राज्य में अधिक पर्यटकों के आगमन, नकदी फसलों के अधिक होने, वन उत्पादों तथा वनस्पतियों आदि के अधिक परिवहन के कारण हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्क:- कमी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान विद्युत शुल्क देयों की देरी से जमा करवाने के कारण हुई।

भू-राजस्व:- वृद्धि किसान पास बुकों तथा बंजर भूमि की बिक्री के कारण अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति:- "शिक्षा" सैक्टर के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यत: निजि शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण विद्यालयों आदि से आवेदन शुल्क की अधिक प्राप्ति तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अधिक राशि प्राप्त करने के कारण हुई।

कृषि कर्म:- "कृषि" सैक्टर में कमी मुख्यत: कृषि फार्मों में गेहूं तथा आलू बीजों के कम उत्पादन के कारण हुई जबकि "बागवानी" सैक्टर में कमी/ सरकारी नर्सरियों/बागीचों में फलों/फल उत्पादों/पौधों के कम उत्पादन तथा परिणामस्वरूप उसकी बिक्री में कमी के कारण थी।

मत्स्य: कमी गोविंद सागर तथा पौंग डैम जलाशयों में मछली के कम उत्पादन क्षतिपूर्ति की कम प्राप्ति तथा परिणामस्वरूप मछली एवं मछली बीज की कम बिक्री के कारण हुई।

जलापूर्ति एवं स्वच्छता: कमी वित्त विभाग द्वारा वर्ष के दौरान बजट आकलनों में अधिक प्रावधानों को उपलब्ध करवाने के कारण हुई।

1.3 संग्रहणों का विश्लेषण

वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य आबकारी की पूर्व-निर्धारण अवस्था तथा नियमित निर्धारण के उपरांत सकल वसूलियां,बिक्री तथा व्यापार कर, यात्री व माल कर तथा पदार्थों व सेवाओं पर अन्य करों व शुल्कों का विखण्डन तथा आबकारी व कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत गत दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों का ब्यौरा निम्नांकित् हैं:-

(करोड़ रूपए)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	पूर्व निर्धारण अवस्था पर संग्रहित राशि	नियमित निर्धारणोपरान्त संग्रहित राशि (अतिरिक्त मांग)	करों व शुल्कों के भुगतान में विलम्ब हेतु शास्तियां	प्रत्यर्पित राशि	निवल संग्रहण	कॉलम 7 के संदर्भ में 3 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य आबकारी	2004-05	299.15	..	1.12	0.37	299.90	100
	2005-06	326.85	..	2.26	0.14	328.97	99
	2006-07	341..33	..	1.62	1.09	341.86	100
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	2004-05	520.14	15.40	8.11	1.28	542.37	96
	2005-06	711.10	10.20	6.03	0.35	726.98	98
	2006-07	898.73	9.28	6.74	0.30	914.45	98
माल एव यात्री कर	2004-05	35.44	1.58	1.30	#	38.32	92
	2005-06	40.47	1.07	1.09	0.02	42.61	95
	2006-07	47.76	1.04	1.42	⊗	50.22	95
पदार्थों व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	2004-05	97.02	0.89	0.08	0.16	97.54♣	99
	2005-06	120.53	3.56	0.05	..	124.10♦	97
	2006-07	118.06	0.69	0.03	0.09	118.65♥	99

केवल 13,850 रू0

⊗ केवल 35,463 रू0

♣ राज्य को आवंटित निवल के हिस्से के संदर्भ में प्राप्त (-) 0.29 करोड़ रू0 को निकालकर

♦ राज्य को निवल प्राप्ति के भाग का (-) 0.04 करोड़ रू0 को निकालकर

♥ राज्य को निवल के हिस्से प्राप्ति के भाग का (-) 0.04 करोड़ रू0 को निकालकर

उपर्युक्त से यह देखा जाएगा कि 2006-07 के दौरान पूर्व-निर्धारण अवस्था पर वसूल की गई राशि 95 से 100 प्रतिशत के मध्य थी।

1.4 संग्रहण लागत

2005-06 की सकल वसूली की तुलना में सम्बन्धित व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता सहित 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 वर्षों के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों की सकल वसूलियां, उनकी वसूली पर किया गया व्यय तथा सकल वसूली के संदर्भ में ऐसे व्यय की प्रतिशतता निम्नांकित थी:-

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2005-06 हेतु अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2004-05 2005-06 2006-07	542.37 726.98 914.45	7.57 9.38 10.33	1.39 1.29 1.13	0.91
2.	राज्य आबकारी	2004-05 2005-06 2006-07	299.90 328.97 341.86	4.19 4.24 3.86	1.39 1.29 1.13	3.40
3.	वाहन, माल व यात्री कर	2004-05 2005-06 2006-07	146.14 144.12 156.57	1.27 1.28 1.90	0.87 0.89 1.21	2.67
4.	स्टाम्प व पंजीकरण फीस	2004-05 2005-06 2006-07	75.34 82.43 92.47	2.02 1.22 2.24	2.68 1.48 2.42	2.87

उपर्युक्त से देखा जाएगा कि बिक्री, व्यापार, आदि पर कर के अंतर्गत संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से अधिक थी ।

1.5 प्रति निर्धारिती बिक्री कर संग्रहण

2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान प्रति निर्धारिती बिक्री कर के संग्रहण का ब्यौरा निम्नवत् है:-

(लाख रूपए)

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	बिक्री कर राजस्व	राजस्व/निर्धारिती
2002-03	30,903	38,334	1.24
2003-04	33,840	43,675	1.29
2004-05	37,226	54,237	1.46
2005-06	39,486	72,698	1.84
2006-07	44,638	91,445	2.05

यह देखा जाएगा कि 2006-07 के दौरान राजस्व में प्रति निर्धारिती 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.6 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2007 को राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के सम्बन्ध में बकाया राजस्व 430.10 करोड़ रू0 हो गया, जिसमें से 107.63 करोड़ रू0 पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसाकि निम्नवत् तालिका में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2007 को बकाया राशि	31 मार्च 2007 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	अभ्युक्तियां
1.	बिक्री, व्यापार/वैट आदि पर कर	99.29	27.14	बकाया 1968-69 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 99.29 करोड़ रू0 के बकायों में से 51.76 करोड़ रू0 की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित की गई थी। 1.39 करोड़ रू0 की वसूलियां उच्च न्यायालय /अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई। 0.56 करोड़ रू0 की वसूलियां आवेदनों के सुधार /समीक्षा के कारण रोक दी गई थी । 3.90 करोड़ रू0 की भाड़ा बट्टे खाते में डाली जानी थी। 41.68 करोड़ रू0 के बकायों के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2007 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2007)।
2.	खनिकी एवं वन्य प्राणी	72.61	27.37	72.61 करोड़ रू0 के बकायों में से बकाया राशियां ठेकेदार एजेन्सी: 3.87 करोड़ रू0; हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम: 68.67 करोड़ रू0 तथा शेष: 0.07 करोड़ रू0 अन्य सरकारी विभागों से सम्बन्धित थीं। अवधि जिससे बकाया सम्बन्धित था तथा वसूली करने हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2007 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई थी (सितम्बर 2007)।
3.	विद्युत पर कर व शुल्क	80.93	..	बकाया हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से वसूले जाने थे।
4.	वाहन कर	90.54	29.13	बकाया 1977 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2007 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई थी (सितम्बर 2007)।
5.	माल एवं यात्री कर	13.65	9.32	बकाया 1961-62 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 13.65 करोड़ रू0 के बकायों में से 2.81 करोड़ रू0 की मांगे भू-राजस्व की वसूली के रूप में प्रमाणित की गई थी। 0.04 करोड़ रू0 की वसूलियां उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 10.80 करोड़ रू0 के बकायों के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2007 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2007)।
6.	पुलिस	17.66	6.33	बकाया 1990-91 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 17.66 करोड़ रू0 के कुल बकायों में से बकाया राशियां भाखड़ा एवं ब्यास प्रबन्धन बोर्ड: 11.03 करोड़ रू0; नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम: 1.47 करोड़ रू0; रेलवे प्राधिकारी: 1.52 करोड़ रू0; नागरिक विमानन प्राधिकरण: 1.01 करोड़ रू0; यमुना हाईडल परियोजना खोदरी माजरी तथा भारतीय सीमेंट निगम, राजबन: 0.64 करोड़ रू0 और राष्ट्रीय जलविद्युत पॉवर निगम: 0.85 करोड़ रू0 से सम्बन्धित थीं। शेष 1.14 करोड़ रू0 अन्य* विभागों/संस्थाओं से सम्बन्धित थे। भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड तथा यमुना हाईडल परियोजना, खोदरी माजरी से सम्बद्ध बकायों की वसूली हेतु मामले भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत दायर किए गए थे। आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (सितम्बर 2007)

* आल इण्डिया रेडियो, इण्टेलीजेंस ब्यूरो, युनाईटिड कमर्शियल बैंक शिमला तथा रोहडू, पंजाब नैशनल बैंक, शिमला, मण्डी तथा किन्नौर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2007 को बकाया राशि	31 मार्च 2007 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	अभ्युक्तियां
7.	जलापूर्ति, स्वच्छता व लघु सिंचाई	35.17	0.98	बकाया 1963-64 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 35.17 करोड़ रू0 के बकायों में से 34.17 करोड़ रू0 नगर निगम, शिमला, नगरपालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों से सम्बन्धित थे। लघु सिंचाई एवं आवास (1 करोड़ रू0) से सम्बन्धित शेष बकाया क्रमशः जिलों के उपायुक्त तथा अधीक्षण अभियन्ताओं के माध्यम से वसूली योग्य थे। बकायों की सम्बन्धित अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2007 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2007)।
8.	राज्य आबकारी	7.41	4.13	बकाया 1972-73 तथा इससे आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 7.41 करोड़ रू0 के बकायों में से 3.95 करोड़ रू0 की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित की गई थीं। 0.01 करोड़ रू0 की वसूलियां उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी थी। 0.05 करोड़ रू0 की मांगे बट्टे खाते में डाली जानी थीं। 3.40 करोड़ रू0 के बकायों के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2007 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2007)।
9.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	3.46	0.09	बकाया 1989-90 तथा उससे आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। 3.46 करोड़ रू0 के बकायों में से 1.68 करोड़ रू0 की मांगे भू-राजस्व की वसूली के रूप में प्रमाणित की गई थीं। 0.18 करोड़ रू0 की वसूलियां उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई। 1.60 करोड़ रू0 के बकायों के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2007 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2007)।
10.	उद्योग (ग्रामीण व लघु उद्योग सहित)	5.02	1.02	बकाया 1979-80 तथा उससे आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2007 में पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2007)
11.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	3.20	2.12	बकाया 1970-71 तथा उससे आगे के वर्षों से सम्बन्धित थे। वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई अप्रैल 2007 में पूछी गई थी, जिसे सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2007)
12.	भू-राजस्व	0.91	प्रतीक्षित	अप्रैल 2007 में बकायों से सम्बन्धित अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2007)
13.	लोक निर्माण कार्य	0.25	प्रतीक्षित	अप्रैल 2007 में बकायों से सम्बन्धित अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई पूछी गई थी, जो सूचित नहीं की गई (सितम्बर 2007)
	योग	430.10	107.63	

1.7 बकाया निर्धारण

वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित मामलों का ब्यौरा, वर्ष के दौरान निर्धारणार्थ देय मामले, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले तथा बिक्री कर, मोटर स्पिरिट कर, बिलास कर तथा निर्माण कार्य संविदाओं पर कर के सम्बन्ध में बिक्री कर विभाग द्वारा यथा प्रस्तुत ऐसे मामले जिनका वर्ष के अंत में निपटान लम्बित था, निम्नांकित थे:-

राजस्व शीर्ष	अथ शेष	वर्ष 2006-07 के दौरान निर्धारणार्थ उचित नये मामले	कुल देय निर्धारण	वर्ष 2006-07 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्षान्त पर बकाया	कॉलम 4 के संदर्भ में 5 की प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,01,179	32,832	1,34,011	61,251	72,760	46
विलास कर	1,501	1,203	2,704	986	1,718	36
निर्माण कार्य संविदाओं पर कर	3,311	1,020	4,331	3,333	998	77
मोटर स्पिरिट कर	8	..	8	..	8	..

1.8 कर अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले तथा विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित अतिरिक्त कर की मांगों का ब्यौरा निम्नांकित है:-

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2006 को लम्बित मामले	वर्ष 2006-07 के दौरान पता लगाए गए मामले	जोड़	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित की गई अतिरिक्त मांग		31 मार्च 2007 को लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (लाख रू0)	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	71	6,744	6,815	6,736	410.39	79
2.	राज्य आबकारी	6	404	410	409	4.32	01
3.	यात्री व माल कर	910	5,058	5,968	5,166	94.96	802
4.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	10	2,009	2,019	2,010	114.40	09
योग		997	14,215	15,212	14,321	624.07	891

1.9 प्रत्यर्पण

विभाग द्वारा यथा सूचित वर्ष 2006-07 के आरम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रत्यर्पण तथा वर्ष 2006-07 की समाप्ति पर लम्बित मामले निम्नांकित हैं:-

(करोड़ रूपए)

क्र0सं0	विवरण	बिक्री कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्षारम्भ पर बकाया दावे	21	0.23	..	..
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	19	0.45	11	1.10
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	19	0.35[क]	10	1.09
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	21	0.33	01	0.01

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2006-07 के दौरान बिक्री कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियों, अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच से 959 मामलों में 108.19 करोड़ रू0 की राशि के राजस्व का अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/हानि उद्घाटित हुई। वर्ष 2006-07 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 1,329 मामलों में 66.77 करोड़ रू0 के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किए जो कि पूर्ववर्ती वर्षो की लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

यह प्रतिवेदन कर, फीस, ब्याज तथा शास्ति, आदि के अनुद्ग्रहण, अल्पोद्ग्रहण से सम्बन्धित 82.38 करोड़ रू0 की एक समीक्षा सहित 32 परिच्छेदों से अन्तर्विष्ट है। विभाग/सरकार द्वारा 61.28 करोड़ रू0 की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली गई हैं, जिनमें से 30.71 करोड़ रू0 जुलाई 2007 तक वसूल किये जा चुके थे। अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.11 उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा सरकार के हितों की रक्षा करने में वरिष्ठ कर्मचारियों की विफलता

1.11.1 महालेखाकार (लेखापरीक्षा) निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन-देनों की नमूना जांच करने और महत्वपूर्ण लेखाकरण तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण करवाने की व्यवस्था करता है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा अनुसरण किया जाता है। जब निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई महत्वपूर्ण अनियमितताओं आदि का स्थल पर समायोजन नहीं किया जाता, निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं जिसकी प्रति अगले उच्चतर प्राधिकारियों को दी जाती है। सरकार के वित्तीय नियमों/आदेशों में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं तथा निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई कमियों, विसंगतियों, आदि के लिए उत्तरदायित्व की अनुपालना करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महालेखाकार द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की कार्यकारी द्वारा शीघ्र उत्तर देने का प्रावधान है। कार्यालयाध्यक्षों तथा उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों की अनुपालना करना तथा दोषों व चूकों को शीघ्र दूर करके उनकी अनुपालना से महालेखाकार को अवगत करवाना अपेक्षित है। महालेखाकार के कार्यालय द्वारा गम्भीर अनियमितताएं भी विभागाध्यक्षों के ध्यान में लाई जाती है। लम्बित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुश्रवण हेतु लम्बित प्रतिवेदनों का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन वित्तायुक्त एवं सचिव (वित्त) को भेजा जाता है।

[क] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला द्वारा छोड़े गए 0.05 लाख रू0 सम्मिलित हैं।

1.11.2 31 दिसम्बर 2006 तक अंतिम तीन वर्षों के दौरान जारी राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या जो विभागों द्वारा 30 जून 2005, 30 जून 2006 तथा 30 जून 2007 को निपटानार्थ लम्बित थी, निम्नांकित है:-

विवरण	जून के अन्त में		
	2005	2006	2007
निपटानार्थ लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,836	3,052	3,209
बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	6,821	7,135	7586
अनर्गस्त राजस्व राशि (करोड़ रूपए)	318.50	278.05	334.72

1.11.3 30 जून 2007 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागवार विखण्डन निम्नांकित है:-

क्र० सं०	विभाग	बकाया संख्या		लेखापरीक्षा टिप्पणियों की राशि (करोड़ रूपए)	टिप्पणियों से सम्बन्धित वर्ष	उन निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनका अभी प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ।
		निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा टिप्पणियां			
1.	राजस्व	822	1,563	10.52	1977-78 से 2005-06 तक	63
2.	वन कृषि एवं संरक्षण	554	1,586	181.08	1970-71 से 2005-06 तक	12
3.	आबकारी एवं कराधान	805	2,058	79.27	1973-74 से 2005-06 तक	14
4.	परिवहन	543	1,565	26.13	1972-73 से 2005-06 तक	25
5.	अन्य विभाग (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, लोक निर्माण, कृषि, बागवानी, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा खनन)	485	814	37.72	1976-77 से 2005-06 तक	34
योग		3,209	7,586	334.72		148

जुलाई 2007 में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का मामला सरकार के मुख्य सचिव के ध्यान में लाया गया था। यह सिफारिश की जाती है कि सरकार मामले की जांच करे तथा यह सुनिश्चित करे कि निम्नलिखित मामलों में प्रक्रिया विद्यमान है:

- जो कर्मचारी निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का उत्तर देने में विफल रहते हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई ;
- समयबद्ध ढंग से हानि वसूलने की कार्रवाई तथा ;
- विभाग में लेखापरीक्षा आपत्तियों का समुचित उत्तर सुनिश्चित् करने हेतु पद्धति का संशोधन किया जाना।

1.12 विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें

हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्तियों पर निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र निपटान की दृष्टि से सरकार द्वारा वित्त विभाग की सिफारिशों पर विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया जाना था। इन समितियों की अध्यक्षता सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग के विशेष सचिव/अतिरिक्त/संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है और विभागाध्यक्ष/अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश से उप-महालेखाकार इसमें सम्मिलित होते हैं।

बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र निपटानार्थ यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समितियां वार्षिक रूप से बैठक करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अंतिम कार्रवाई कर ली गई है। वर्ष 2006-07 के लिए राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 10 सरकारी विभागों में से आठ विभागों ने लेखापरीक्षा समिति की बैठक करवाई। शेष विभागों अर्थात आबकारी एवं कराधान तथा लोक निर्माण कार्य के संदर्भ में वार्षिक बैठक से सम्बद्ध मामला पत्राचाराधीन था। बैठक में 26 परिच्छेदों का समायोजन कर दिया गया।

1.13 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों का राज्य सरकार द्वारा उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि वे लेखापरीक्षा परिणामों की ओर ध्यान दें और उन्हें अपने उत्तर आठ सप्ताह के भीतर देने का अनुरोध किया जाता है। विभागों से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रत्येक परिच्छेद की समाप्ति पर निरन्तर सूचित किए जाते हैं।

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन में सम्मिलित छत्तीस प्रारूप परिच्छेदों (32 परिच्छेदों में सम्मिलित) को सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों से नाम फरवरी तथा मई 2007 के मध्य भेजा गया था। विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों ने 34 ड्राफ्ट परिच्छेदों के उत्तर स्मरणपत्रों के जारी करने के बावजूद भी नहीं भेजें (जुलाई 2007)। इन परिच्छेदों को विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के बिना उत्तर के इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति

दिसंबर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्य प्रणाली में निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई करेगा और उस पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां सरकार द्वारा समिति के विचारार्थ प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां अनियमित रूप से विलम्बित की जा रही थी। 31 मार्च 2002, 2003, 2004 तथा 2005 को समाप्त वर्षों हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्तियों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 139 परिच्छेदों(समीक्षाओं सहित) में से तीन[⊗] विभागों से 31 परिच्छेदों के सम्बंध में की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

⊗ 2003-04: वन कृषि एवं भू-संरक्षण
2004-05: वन कृषि एवं भू-संरक्षण, राजस्व तथा लोक निर्माण विभाग

1.15 स्वीकृत मामलों के राजस्व की वसूली

वर्ष 2001-02 तथा 2006-07 के मध्य विभाग/सरकार ने 174.99 करोड़ रू0 से सम्मिलित लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की जिसमें से वसूली की गई 84.89 करोड़ रू0 की राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल मौद्रिक लागत	स्वीकार की गई मौद्रिक लागत	की गई वसूली
2001-02	19.55	7.12	5.89
2002-03	80.37	48.96	44.54
2003-04	107.31	38.20	1.59
2004-05	54.39	7.11	1.88
2005-06	58.32	12.32	0.28
2006-07	82.38	61.28	30.71
कुल योग	402.32	174.99	84.89

दूसरा अध्याय: बिक्री कर

2.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2006-07 के दौरान लेखापरीक्षा में बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में 6.80 करोड़ रू0 की राशि के कर के अल्प निर्धारण, शास्ति के अनुद्ग्रहण आदि से सम्बन्धित 194 मामले उद्घाटित हुए जो स्पष्टत: निम्नवत् श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र0सं0	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	क्रय/विक्रय छिपाने के कारण कर का अपवंचन	23	1.08
2.	शास्ति/ब्याज का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण	16	0.22
3.	कर का अवनिर्धारण	104	1.92
4.	व्यापारियों का पंजीकरण न करने के कारण कर का अनुद्ग्रहण	02	1.50
5.	अन्य अनियमितताएं	49	2.08
योग		194	6.80

वर्ष 2006-07 के दौरान विभाग ने 56 मामलों में 2.94 करोड़ रू0 के अवनिर्धारण स्वीकार किए जो कि पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

2.78 करोड़ रू0 के वित्तीय प्रभाव से युक्त महत्वपूर्ण टिप्पणियां दर्शाने वाले कुछ उदाहरणार्थ मामले निम्नांकित परिच्छेदों में दिए गए हैं।

2.2 रियायत की गलत अनुमति देने के कारण अवनिर्धारण

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत जारी दिनांक 23 जुलाई 1999 की अधिसूचना के अनुसार औद्योगिक विकास खण्ड सोलन में स्थापित की गई एक नई लघु औद्योगिक इकाई वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पांच वर्षों तक विशिष्ट कर दर के 25 प्रतिशत के दर पर कर रियायत की हकदार थी। यह रियायत केवल उसी इकाई को स्वीकार्य थी जिसकी वार्षिक आय 45 लाख रू0 से अधिक न रही हो। इसके अतिरिक्त, व्यापारी यदि निर्धारित दर पर कर देने में विफल रहा हो तो वह निर्धारित दरों पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान अक्तूबर 2006 में यह ध्यान में आया कि सोलन विकास खण्ड प्रयोगशाला के परित्यजनीय[♦] उपकरणों के विनिर्माण में लगी एक नई औद्योगिक इकाई अक्तूबर 2001 से कर को रियायत दर प्राप्त कर रही थी। इकाई की 2002-03 तथा 2003-04 में वार्षिक आय 45 लाख रू0 से अधिक थी, अत: इकाई रियायत दर की हकदार नही रही। मार्च 2006 में निर्धारण प्राधिकारी ने 2002-03 तथा 2003-04 वर्षों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय रियायत कर की गलत अनुमति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के 3.71 लाख रू0 सहित बिक्री कर के 11.04 लाख रू0 का अवनिर्धारण हुआ।

मामला विभाग तथा सरकार को नवम्बर 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)

2.3 व्यापारियों का पंजीकरण न करने के कारण कर का अनुदग्रहण

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री अधिनियम के अन्तर्गत "व्यापारी" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो अपने व्यापार सम्बन्धित माल के क्रय, विक्रय या आपूर्ति अथवा वितरण के लिए नकदी, आस्थगित भुगतान या कमीशन या मानदेय के रूप में उसका प्रतिफल लेता है। इसके अतिरिक्त व्यापारी का उत्तरदायित्व है कि वह पंजीकृत हो एवं कर का भुगतान करें यदि 23 अप्रैल 1999 से प्रभावी नियमानुसार उसकी वार्षिक सकल कर योग्य *टर्नओवर* 4 लाख रू0 से बढ़ जाए।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जनवरी 2007 में यह ध्यान में आया कि 23 आपूर्तिकर्त्ताओं ने 2000-01 तथा 2001-02 के मध्य 6.56 करोड़ रू0 लागत की खैर लकड़ी एक फर्म [♣]को बेची। प्रत्येक व्यापारी की वार्षिक *टर्नओवर* 4 लाख रू0 से अधिक थी परन्तु उनमें से किसी ने भी पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया था। विभाग भी उनके पंजीकृत न होने के मामलों की जांच-पड़ताल करने में विफल रहा तथा व्यापारियों ने भी इस अवधि के दौरान कोई कर अदा नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 0.69 करोड़ रू0 के ब्याज सहित 1.48 करोड़ रू0 के कर का अनुदग्रहण हुआ।

♦ सूक्ष्म नली तथा पैट्री डिश

♣ मैसर्ज महेश उद्योग ओयल, जिला ऊना

मामला विभाग तथा सरकार को फरवरी 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

2.4 आय का गलत निर्धारण करना

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत *"टर्नओवर"* में किसी व्यापारी द्वारा दी गई अवधि के दौरान वास्तव में बेची तथा खरीदी गई समस्त राशि शामिल है। अप्रैल 1978 में जारी विभागीय अनुदेशों के अनुसार निर्धारण प्राधिकारियों को व्यापारियों के लेखाओं की जांच में यह देखना अपेक्षित है कि बिक्री खरीद के साथ मेल खाती हैं तथा उन्हें व्यापारियों की विवरणियों में दर्शित आंकड़ों तथा उनके लेखाओं में पाए जाने वाले आंकड़ों के बीच के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए।

अक्तूबर 2006 में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि एक व्यापारी के मामले में जिसे मार्च 2005 को प्रतिपेषित किया गया था, के वर्ष 1996-97 से 2001-02 के विनिर्माण, व्यापारिक लाभ तथा हानि लेखाओं में प्रतिबिम्बित कर योग्य *टर्नओवर* 3.82 करोड़ रू0 निकलती थी निकाली। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने अगस्त 2005 में इन वर्षों के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए 1.86 करोड़ रू0 की कर योग्य *टर्नओवर* का गलत निर्धारण कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 19.60 लाख रू0 के कर प्रभाव सहित 1.96 करोड़ रू0 की *टर्नओवर* का गलत निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त 19.33 लाख रू0 का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मामला विभाग तथा सरकार को नवम्बर 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2007)।

2.5 दर को गलत लागू करने के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण

माल पर कर हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर, अधिनियम में निर्धारित अनुसूची के अनुसार उद्ग्राह्य है।

तीन[v] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में फरवरी 2006 तथा जनवरी 2007 के मध्य यह ध्यान में आया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने जनवरी 2002 तथा दिसम्बर 2005 के दौरान 1998-99 से 2004-05 वर्षों के लिए सात व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय 5.47 करोड़ रू0 की लागत के माल पर निर्धारित दरों के बजाय कम दर पर कर लागू किया। गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 30.41 लाख रू0 के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। कुछ एक दृष्टांत मामले निम्नवत् हैं:

[v] कांगड़ा: एक मामला: 1.94 लाख रू0; सिरमौर: चार मामले: 7.13 लाख रू0 तथा ऊना: दो मामले: 21.34 लाख रू0

(लाख रूपये)

क्र० सं०	सहायक आबकारी कराधान एवं आयुक्त वर्ष निर्धारण की तिथि	व्यापारी माल	अनियमितता की प्रकृति	माल की लागत	कर प्रभाव अल्प कर उद्ग्रहीत ब्याज उद्ग्राहय
1.	सिरमौर • 1998-99 जनवरी 2002 1999-2000 दिसम्बर 2002 2000-01 जून 2004 • 1998-99 तथा 1999-2000 मार्च 2005	2 चूने का पत्थर	व्यापारियों ने अपंजीकृत व्यापारियों को अन्तर्राज्यीय बिक्री की। चूने के पत्थर पर कर की स्थानीय दर 30 प्रतिशत थी (नॉन-एल डी[⊗] ग्रेड)। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय व्यापारियों से 30 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किया।	8.00	1.60 1.60
अभ्युक्तियां: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर ने नवम्बर 2006 में सूचित किया कि व्यापारियों से 3.85 लाख रू० की मांग की गई थी, जिसमें से अक्तूबर 2006 तक 0.32 लाख रू० वसूल किये जा चुके थे।					
2.	2001-02 दिसम्बर 2005	1 कत्था[$]	व्यापारी ने 45.55 लाख रू० की खैर लकड़ी की स्थानीय खरीद की। खैर लकड़ी को "एक फार्म" के प्रयोग पर राज्य के बाहर हस्तांतरित किया गया तथा कत्थे के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया गया। खरीद पर कर आठ प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत की दर से उद्ग्राहय किया जाना था।	45.55	1.82 1.52
3.	ऊना 2000-01 जनवरी 2005 2001-02 सितम्बर 2005	1 स्टील स्क्रैप	व्यापारी ने स्टील स्क्रैप की अन्तर्राज्यीय बिक्री की। इसे माल मान कर इस पर चार प्रतिशत की दर से कर देय था। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए "सी" फार्म के विरूद्ध स्टील स्क्रैप की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर चार प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किया।	302.55	9.07 9.11
4.	2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 दिसम्बर 2005	1 पीवीसी पाईपें तथा उनकी फिटिंग	एक व्यापारी पीवीसी पाईप तथा फिटिंग के विनिर्माण में लगा हुआ था। पीवीसी पाईप पर कर की दर 12 प्रतिशत थी। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए पीवीसी पाईपों को प्लास्टिक पाईपें मानकर 12 प्रतिशत के बजाय आठ प्रतिशत की दर से व्यापारी से कर उद्गृहीत किया।	53.76	2.15 1.01

मामला विभाग तथा सरकार को मार्च 2006 तथा फरवरी 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

2.6 ब्याज का अनुदग्रहण

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर को भुगतान करने में विफल रहता है तो जिस अंतिम तिथि को व्यापारी को कर का भुगतान करना चाहिए था उसके तत्काल बाद की तिथि से एक मास की अवधि तक एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से तथा इसके पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, जब तक चूक जारी रहती हो, वह ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

⊗ चूने के पत्थर जिसमें डेढ़ प्रतिशत अथवा इससे अधिक सिलिका मात्रा पाई जाती है

$ परिवर्तित खैर लकड़ी से विनिर्मित

दो[&] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान अगस्त तथा अक्तूबर 2006 के मध्य यह पाया गया कि अगस्त 2003 तथा अगस्त 2005 के मध्य निर्धारण प्राधिकारी ने 1998-99 तथा 2001-02 वर्षों के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय तीन व्यापारियों से 10.62 लाख रू0 की कर मांग सृजित की। इनमें से कांगड़ा के दो व्यापारियों ने अपनी प्रतिफल आय पर 2.84 लाख रू0 अदा नहीं किए जबकि सोलन जिला के एक अन्य व्यापारी ने 7.78 लाख रू0 कम अदा किए। तथापि निर्धारण प्राधिकारी ने कर जमा न करने/कम जमा करने पर 9.73 लाख रू0 का ब्याज नहीं लगाया। इसके अतिरिक्त, जुलाई/सितम्बर 2006 तक 2.98 लाख रू0 का ब्याज भी उदग्राह्य था। निर्धारण प्राधिकारी ने कर राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 23.33 लाख रू0 के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामला विभाग तथा सरकार को सितम्बर 2006 तथा नवम्बर 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

2.7 कर का अल्पोद्ग्रहण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जारी जुलाई 1999 की अधिसूचना के अनुसार इस्पात तारों की अन्तर्राज्यीय बिक्री के मामले में कर की दर में रियायत प्राप्त करने हेतु "ग" फार्म को प्रस्तुत करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त दिनांक मई 2002 के संशोधन में नियत था कि अन्तर्राज्यीय बिक्री के सभी मामलों में कर दर में रियायत लेने हेतु "ग" फार्म प्रस्तुत करना आवश्यक था।

2.7.1 सहायक आबाकरी एवं कराधान आयुक्त कांगड़ा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान अगस्त 2006 में यह ध्यान में आया कि एक व्यापारी ने 2000-01 के दौरान 87 लाख रू0 की लागत की इस्पात तारों की अन्तर्राज्यीय बिक्री की। मई 2002 में निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए आठ प्रतिशत के बजाय रियायत दर एक प्रतिशत की दर से बिक्री पर बिना "ग" फार्मों के गलत कर उदगृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज रहित 11.82 लाख रू0 के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

2.7.2 एक अन्य मामले में व्यापारी ने 2003-04 के दौरान 1.12 करोड़ रू0 की लागत के एक्टीवेटड कार्बन[*] की अन्तर्राज्यीय बिक्री की। व्यापारी ने केवल 97.10 लाख रू0 हेतु "ग" फार्म प्रस्तुत किए। नवम्बर 2005 में निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए समस्त अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती दर से एक प्रतिशत कर उद्गृहीत किया। "ग" फार्म द्वारा आवृत्त न की गई 15.10 लाख रू0 की बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से कर उद्ग्राह्य था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 1.90 लाख रू0 के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

मामला विभाग तथा सरकार को सितम्बर 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

2.8 बिक्री कर का अपवंचन

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी फरवरी 1992 की संशोधित[♣] अधिसूचना के अनुसार घोषणा फार्म आर एम-1 में अर्द्ध परिष्कृत कत्था की बिक्री पर एक प्रतिशत की रियायती दर से कर उद्ग्राह्य था। परन्तु खैर पर कर 19 अप्रैल 2002 तक 12 प्रतिशत तथा उसके पश्चात् आठ प्रतिशत उद्ग्राह्य था।

[&] कांगड़ा तथा सोलन

[*] कार्बन पाउडर को दवाइयों सम्बन्धी सामान बनाने तथा घी सरसों के तेल आदि के शुद्धिकरण हेतु प्रयोग किया जाता है

[♣] दिनांक 23 जुलाई 1999

यदि व्यापारी अपनी बिक्री या खरीद सम्बन्धी *टर्नओवर* को छिपाने की दृष्टि से जाली एवं गलत लेखाओं का अनुरक्षण करता है, तो वह निर्धारित दर से शास्ति के भुगतान हेतु दायी है।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान मार्च 2006 में यह ध्यान में आया कि एक व्यापारी ने 2000-01 तथा 2002-03 के दौरान 68.34[ω] लाख रू0 के लागत की खैर लकड़ी बेची। निर्धारण प्राधिकारी ने इसे अर्द्ध निर्मित कत्था मान लिया तथा जनवरी 2005 में एक प्रतिशत की रियायती दर से 0.81 लाख रू0 का कर उद्गृहीत किया जबकि इस सम्बन्ध में अभिलेख में कोई दस्तावेज नहीं पाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ब्याज तथा शास्ति सहित 12.87 लाख रू0 के कर का अपवंचन हुआ।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात् अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (मुख्यालय) शिमला ने अक्तूबर 2006 में सूचित किया कि निर्धारण प्राधिकारी ने अगस्त 2006 में व्यापारी के कर का पुनः निर्धारण किया तथा 14.94 लाख रू0 की अतिरिक्त मांग सृजित की। वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि व्यापारी ने अपील दायर कर दी थी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

मामला अप्रैल 2006 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

[ω] 2000-01: 39.91 लाख रू0; 2002-03: 28.43 लाख रू0

तीसरा अध्याय: राज्य आबकारी एवं वाहन पर कर

3.1 लेखापरीक्षा परिणाम

राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल एवं यात्री कर से सम्बन्धित अभिलेखों की वर्ष 2006-07 के दौरान नमूना-जांच से 298 मामलों में 18.31 करोड़ रू0 की लाइसैंस फीस, ब्याज एवं शास्ति, कर की अवसूली/अल्प वसूली तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो मुख्यत: निम्नांकित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
I.	**राज्य आबकारी**		
1.	लाइसैंस फीस, ब्याज एवं शास्ति की अवसूली/अल्प वसूली	15	1.86
2.	अन्य अनियमितताएं	10	0.22
II.	**वाहन, माल एवं यात्री कर**		
3.	**अवसूली/अल्प वसूली**		
	• सांकेतिक कर	48	0.54
	• यात्री एवं माल कर	02	0.02
4.	**अपवंचन**		
	• सांकेतिक कर	27	1.33
	• यात्री एवं माल कर	07	0.13
5.	**अन्य अनियमितताएं**		
	• वाहन कर	163	11.20
	• यात्री एवं माल कर	26	3.01
	योग	**298**	**18.31**

वर्ष 2006-07 के दौरान विभाग ने 671 मामलों में 12.82 करोड़ रू0 के अवनिर्धारण स्वीकार किए जो कि पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

3.80 करोड़ रू0 के वित्तीय प्रभाव से अन्तर्निहित महत्वपूर्ण टिप्पणियों को प्रकाशमय करने वाले कुछ मामलों के उदाहरण निम्नांकित परिच्छेदों में दिये गये हैं।

I. राज्य आबकारी

3.2 लाईसैंस फीस के विलम्ब से किए गए भुगतान पर ब्याज की अवसूली/अल्प वसूली

वर्ष 2005-06 के लिए हिमाचल प्रदेश आबकारी नीलामी उद्घोषणाओं में देसी निर्मित शराब अथवा भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बिक्री हेतु लाइसैंस धारक द्वारा 10 समान किस्तों में लाइसैंस फीस का भुगतान करने का प्रावधान है। लाईसैंस धारक को प्रत्येक मास के अंतिम दिवस तक किस्तों का भुगतान करना अपेक्षित है। पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 जो हिमाचल प्रदेश के लिए लागू होता है, में परिकल्पना की गई है कि समस्त आबकारी राजस्व को उस व्यक्ति से अथवा उसकी जमानत देने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया के रूप में उसकी चल सम्पत्ति की कुर्की तथा बिक्री द्वारा वसूल किया जाए जो प्राथमिक रूप से उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

3.2.1 तीन* सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में अक्तूबर तथा दिसम्बर 2006 के दौरान ब्याज प्राप्ति रजिस्टरों से पाया गया कि छः लाईसैंसधारियों ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा 2005-06 के मध्य उगाही गई 84.51 लाख रू0 की राशि की लाईसैंस फीस से सम्बन्धित मासिक किस्तों, उन पर ब्याज तथा शास्ति का भुगतान समय पर नहीं किया। विभाग ने लाइसैंसधारियों अथवा उनकी प्रतिभूति देने वालों से राशि वसूल करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसके फलस्वरूप इस सीमा तक के सरकारी राजस्व की अवसूली हुई।

3.2.2 इसके अतिरिक्त अक्तूबर 2006 तथा फरवरी 2007 के मध्य तीन* सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालयों से यह पाया गया कि तीन लाईसैंसधारियों ने वर्ष 2005-06 के लिए लाईसैंस फीस की किस्तों के भुगतान में 3 से 247 दिनों के मध्य की अवधि तक विलम्ब किया जिसके लिए उनके द्वारा 27.59 लाख रू0 का ब्याज का भुगतान किया जाना था। तथापि, विभाग ने 25.95 लाख रू0 का उद्ग्रहण/वसूली की जिसके फलस्वरूप 1.64 लाख रू0 के ब्याज की अल्प वसूली हुई।

मामला विभाग तथा सरकार को सितम्बर 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

II. वाहन, माल व यात्री कर

3.3 सांकेतिक कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत सांकेतिक कर अग्रिम रूप से अदा करना होता है तथा निर्धारित विधि से त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से एकत्रित किया जाता है। वाहन जो सड़क पर चलने से अयोग्य घोषित कर दिये गये हों तथा जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों के पास जमा करवा दिये गये हों, उन्हें उस अवधि हेतु कर अदा करने से छूट होगी। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारी द्वारा "सांकेतिक कर रजिस्टर" के नाम से पुकारे जाने वाले एक रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाना

* बिलासपुर: 20.07 लाख रू0; कांगड़ा: 16.65 लाख रू0 तथा मण्डी: 47.79 लाख रू0

* बिलासपुर: 1.07 लाख रू0; सोलन: 0.30 लाख रू0 तथा ऊना: 0.27 लाख रू0

अपेक्षित है। 29[♥] पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान मार्च 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य यह पाया गया कि 2,992[∂] वाहनों हेतु 2004-05 से 2005-06 वर्षों के लिए 1.83 करोड़ रू0 राशि का सांकेतिक कर न तो वाहन मालिकों द्वारा जमा करवाया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा उसे वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई की गई। अभिलेख में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं था जिससे यह प्रकट हो कि इन वाहनों में से किसी को भी चलाने के अयोग्य घोषित किया गया हो तथा उनके पंजीकरण प्रमाणपत्रों को सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों के पास जमा कर दिया गया हो । इनमें से पांच[Ψ] पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों के सांकेतिक कर रजिस्टर अधूरे थे। प्रविष्टियों के अभाव में पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों द्वारा किये गये संग्रहणों के अनुश्रवण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके फलस्वरूप 2004-05 से 2005-06 वर्षों के दौरान 1.83 करोड़ रू0 के सांकेतिक कर की अवसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारी धर्मशाला ने मार्च 2007 में सूचित किया कि 19 चूककर्ताओं को 4.47 लाख रू0 के सांकेतिक कर की वसूली हेतु आवश्यक मांग पत्र जारी कर दिये गये थे। शेष पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों से आगामी प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

मामला विभाग तथा सरकार को अप्रैल 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

3.4 विशेष पथकर का भुगतान न करना/अल्प भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के लिए उपयोग में लाये गये अथवा राज्य में उपयोग हेतु रखे गये सभी परिवहन वाहनों पर मासिक विशेष पथ कर उद्ग्राह्य होगा, प्रभारित किया जाएगा तथा राज्य के लिए भुगतान किया जाएगा। विशेष पथ कर प्रत्येक मास की 15वीं तारीख को अग्रिम रूप से भुगतान योग्य है। परिवहन विभाग की दिनांक 26 जुलाई 2006 की अधिसूचना जो 31 जुलाई 2002 से लागू मानी गई है, के अनुसार यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अन्दर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात निर्धारित दरों पर शास्ति का भुगतान करने के निदेश देगा। जब कोई भी देय कर अथवा शास्ति, जैसा भी मामला हो, किसी मोटर वाहन के सम्बन्ध में अदा न किया गया हो, तो विभाग ऐसे वाहन को जब्त करने तथा रोके रखने के लिए अधिकृत है।

3.4.1 निजि संचालक

पांच[≈] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 65 मामलों में वर्ष 2005-06 के लिए 50.49 लाख रू0 का विशेष पथ कर वाहन मालिकों द्वारा या तो अदा ही नहीं किया गया अथवा अल्परूप से अदा किया गया। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों ने चूककर्ताओं को कोई भी नोटिस जारी नहीं किया। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह प्रकट हो कि विभाग द्वारा इन वाहनों में से कोई भी वाहन रोके रखा गया हो अथवा जब्त किया गया हो। विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई न करने के

♥ अर्की, अम्ब, बैजनाथ, बंजार, बिलासपुर, चम्बा, चौपाल, डलहौजी, देहरा, धर्मशाला, घुमारवीं, जयसिंहपुर, कांगड़ा, कुल्लू,मनाली, नाहन, नालागढ़, पालमपुर, पांवटा साहिब, परवाणु, राजगढ़, रिकांगपिओ, रोहड़ू, सरकाघाट, ठियोग, शिमला (शहरी), सोलन, सुन्दरनगर तथा ऊना

∂ बसें/मिनी बसें/स्टेज कैरिज:564 मामले: 1.18 करोड़ रू0; निर्माण उपकरण वाहन :12 मामले: 0.03 करोड़ रू0;/गुडज कैरियर्ज/अन्य वाहन/ 2,249 मामले: 0.56 करोड़ रू0 तथा मैक्सी कैब्ज/मोटर कैब्ज: 167 मामले/ 0.06 करोड़ रू0

Ψ अम्ब, देहरा, पालमपुर, पांवटा साहिब तथा ऊना

≈ बिलासपुर: 9 मामले: 2.89 लाख रू0; हमीरपुर: 23 मामले: 10.82 लाख रू0; कुल्लू: 27 मामले: 5.13 लाख रू0; मण्डी: 4 मामले: 2.40 लाख रू0 तथा सोलन: 2 मामले: 29.25 लाख रू0

फलस्वरूप 50.49 लाख रू0 के विशेष पथकर की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त भुगतान न करने के लिए शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

जून 2006 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य इसे इंगित किये जाने के पश्चात क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी मण्डी ने फरवरी 2007 में बताया कि सम्बद्ध संचालकों को नोटिस जारी किये गये थे। शेष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों से आगामी प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

3.4.2 हिमाचल पथ परिवहन निगम वाहनों पर शास्ति का अनुद्ग्रहण

चार[▲] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 2005-06 की अवधि हेतु निर्धारित समय के अन्दर 8.66 करोड़ रू0 राशि के विशेष पथ कर का भुगतान नहीं किया गया। विशेष पथ कर के भुगतान में 3 तथा 168 दिनों के मध्य विलम्ब रहा जिसके लिए 45.67 लाख रू0 की शास्ति यद्यपि उद्ग्राह्य थी परन्तु उद्गृहीत नहीं की गई। इसके फलस्वरूप इस सीमा तक के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, मण्डी ने फरवरी 2007 में बताया कि 8.08 लाख रू0 की शास्ति की वसूली कर ली गई है। शेष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों से की गई कार्रवाई पर आगामी प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

मामला विभाग तथा सरकार को जुलाई 2006 तथा फरवरी 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

3.5 गलत दरें लागू करने के कारण सांकेतिक कर का अल्पोद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की दिसम्बर 2001 तथा दिसम्बर 2003 की अधिसूचना के अनुसार, निजि संस्थाओं के स्वामित्व वाली मैक्सी कैबों तथा निजि सेवा बसों पर 250 रू0 प्रति सीट प्रतिवर्ष की दर पर सांकेतिक कर प्रभारित किया जाना था। पहली जनवरी 2004 से निर्माण उपकरण वाहनों तथा क्रेन सवार वाहनों के मामले में कर की वार्षिक दर 6,000 रू0 (हल्के वाहन), 9,000 रू0 (मध्यम वाहन) तथा 12,000 रू0 (भारी वाहन) वार्षिक की दर से उद्ग्राह्य थी।

पांच[•] पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी बिलासपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान मार्च 2006 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य यह देखा गया कि 85 वाहनों[›] हेतु 9.15 लाख रू0 राशि का सांकेतिक कर भुगतान योग्य था। तथापि, वाहन मालिकों ने कम दर पर कर जमा कराया तथा केवल 4.92 लाख रू0 का भुगतान किया। विभाग चूक का पता लगाने में विफल रहा जिसके फलस्वरूप 4.23 लाख रू0 के सांकेतिक कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

मामला विभाग तथा सरकार को अप्रैल 2006 तथा जनवरी 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

▲ बिलासपुर: 6.04 लाख रू0; धर्मशाला: 26.78 लाख रू0; कुल्लू: 4.84 लाख रू0 तथा मण्डी: 8.01 लाख रू0

• बंजार, डलहौजी, कुल्लू, सुन्दरनगर तथा ऊना

› बसें: 15: 0.87 लाख रू0; निर्माण उपकरण वाहन; 24: 3.07 लाख रू0 तथा मैक्सी कैब : 46: 0.29 लाख रू0

3.6 सांकेतिक कर की अनियमित छूट

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अंतर्गत दिसम्बर 2003 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निजि शैक्षणिक संस्थानों से सम्बद्ध बसों पर सांकेतिक कर 250 रू0 प्रतिसीट वार्षिक परन्तु अधिकतम 30,000 रू0 की दर से प्रभारित किया जाना था।

आठ [⊗] पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान सितम्बर 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य यह पाया गया कि निजि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा स्वामित्व वाले 36 वाहनों के सम्बन्ध में जनवरी 2004 से मार्च 2006 तक की अवधि के दौरान सांकेतिक कर के भुगतान करने की अनियमित रूप से छूट दी गई। इसके फलस्वरूप 4.99 लाख रू0 के सांकेतिक कर की अवसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात सम्बन्धित कराधान प्राधिकारियों ने सितम्बर 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य बताया कि सम्बद्ध संस्थानों को कर जमा कराने के लिए नोटिस जारी किये जायेंगे।

मामला विभाग तथा सरकार को अक्तूबर 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

3.7 सरकारी धन का अनुचित अवरोधन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 में प्रावधान है कि दिवस के दौरान एकत्रित की गई विभागीय प्राप्तियां उसी दिन अथवा विलम्बतम अगले कार्य दिवस की सुबह तक कोषागार में जमा करवाई जानी चाहिए। सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाले प्रत्येक अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में रोकड़बही का अनुरक्षण करना चाहिए।

3.7.1 पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारी, पांवटा साहिब की लेखापरीक्षा के दौरान मार्च 2007 में यह पाया गया कि पंजीकरण फीस, सांकेतिक कर, शास्ति, पासिंग फीस, ड्राईविंग लाईसैंस फीस के कारण अक्तूबर 2005 तथा जून 2006 के मध्य की अवधि के दौरान एकत्रित की गई 41.92 लाख रू0 की राशि निर्धारित अवधि के अन्दर कोषागार में जमा नहीं करवाई गई। सरकारी धन को जमा करवाने में 2 से 289 दिनों तक का विलम्ब था।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारी, पांवटा साहिब ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मानते समय बताया (मार्च 2007) कि दोषी पदाधिकारी के प्रति विभागीय् जांच चली हुई है तथा उसके परिणाम आपूरित कर दिये जायेंगे।

3.7.2 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (विधि एवं आदेश) (एडीएम-एल एण्ड ओ) द्वारा अक्तूबर 2003 तथा मार्च 2006 के मध्य एकत्रित की गई 9.71 लाख रू0 की परमिट फीस में से 9.60 लाख रू0 2 से 28 दिनों के विलम्ब से जमा करवाये गये जबकि 0.11 लाख रू0 की शेष राशि जमा ही नहीं कराई गई।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (एल एण्ड ओ) ने भी चूक को माना तथा बताया कि सम्बद्ध अधिकारियों को सरकारी लेखे में राजस्व को या तो उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस की सुबह जमा कराने के लिए निदेश दे दिये गये थे। 0.11 लाख रू0 जमा न कराने के बारे में मार्च 2007 में यह बताया गया कि सम्बद्ध पदाधिकारियों से राशि वसूल कर ली जाएगी। आगामी प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (सितम्बर 2007)।

[⊗] अर्की, देहरा, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, नालागढ़, पांवटा साहिब तथा ऊना

सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (एल एण्ड ओ) की संग्रहित सरकारी प्राप्तियों को शीघ्रता से कोषागार में जमा कराये जाने को सुनिश्चित करने में विफलता के फलस्वरूप 51.63 लाख रू0 की सीमा तक के सरकारी धन का अनुचित अवरोधन हुआ। विसंगति के दृष्टिगत सरकारी धन के दुरूपयोग/दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

मामला मार्च 2007 तथा अप्रैल 2007 के मध्य विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

3.8 यात्री कर तथा माल कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत वाहन मालिकों से निर्धारित दरों पर या तो मासिक अथवा त्रैमासिक रूप से कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है। तथापि, यदि वाहन मालिक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी वाहन मालिक को शास्ति की राशि सहित देय कर जो कि इस प्रकार निर्धारित किए गए कर की राशि से पांच गुणा से अधिक न हो, परन्तु न्यूनतम राशि 500 रू0 हो, को जमा करने के लिए निदेश दे सकता है।

10© सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर में अनुरक्षित मांग एवं संग्रहण रजिस्टर की नमूना-जांच के दौरान मई 2006 तथा जनवरी 2007 के मध्य यह पाया गया कि वाहन मालिकों द्वारा 2004-05 से 2005-06 की अवधि हेतु 1,606 वाहनों के लिए 66.96 लाख रू0 राशि के यात्री कर एवं माल कर का भुगतान नहीं किया गया। निर्धारण प्राधिकारियों ने वाहन मालिकों को कोई भी मांग नोटिस जारी नहीं किये। विभाग की ओर से कार्रवाई न करने के फलस्वरूप इस सीमा तक के कर की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त 8.03 लाख रू0 की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने सितम्बर 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य सूचित किया कि तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से 3.88 लाख♦ रू0 (यात्री कर: 2.75 लाख रू0; माल कर: 1.13 लाख रू0) वसूल किये जा चुके थे तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। चम्बा जिले के सम्बन्ध में मालिकों को नोटिस जारी किये जा चुके थे। शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से वसूली सम्बन्धी आगामी प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

मामला जून 2006 तथा फरवरी 2007 के मध्य विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

3.9 आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न किये गये वाहन

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत स्टेज/संविदा ढुलाई वाहनों तथा माल ढुलाई वाहनों के मालिकों से सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास अपने वाहन पंजीकृत कराये जाने तथा निर्धारित दरों पर यात्री एवं माल कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। दिसम्बर 1984 में जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों में भी प्रावधान है कि आबकारी एवं कराधान अधिनियम के अंतर्गत सभी वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित् करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग उचित उपाय करेगा तथा उस प्रयोजन हेतु पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों के साथ निकट समन्वयन रखेगा। पंजीकरण हेतु आवेदन करने में विफलता पर शास्ति जो कि इस प्रकार निर्धारित कर की राशि से पांच गुणा से अधिक न हो परन्तु न्यूनतम राशि 500 रू0 हो, उद्ग्राह्य है।

© बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला, सोलन तथा ऊना

♦ हमीरपुर: रू0 1.71 लाख रू0; कांगड़ा स्थित धर्मशाला: 1.80 लाख रू0 तथा किन्नौर: 0.37 लाख रू0

सात* सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के अभिलेखों से नौ पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों तथा चार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के अभिलेखों के प्रतिसत्यापन से मई 2006 तथा फरवरी 2007 के मध्य पाया गया कि सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारयों के पास पंजीकृत किये गये 565 वाहनों को हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया। जिसके फलस्वरूप वाहन मालिकों से 2004-05 एवं 2005-06 के मध्य की अवधि हेतु 13.35 लाख रू0 के माल कर की वसूली नहीं हुई। वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित् करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों/पंजीकरण एवं लाईसैंस प्राधिकारियों एवं सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य समन्वयन नहीं था। 2.82 लाख रू0 की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

इसे इंगित किये जाने पर अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने नवम्बर 2006 में बताया कि 0.77 लाख रू0 की राशि हमीरपुर एवं मण्डी के 22 वाहनों से वसूल की गई थी। अन्य सम्बद्ध सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को शेष वाहनों के पंजीकृत करवाने सम्बन्धी निदेश दे दिऐ गये थे। शेष जिलों के सम्बन्ध में आगामी प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2007)।

मामले विभाग तथा सरकार को जून 2006 तथा फरवरी 2007 के मध्य प्रतिवेदित किये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2007)।

---

* बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन तथा ऊना

चौथा अध्याय: वन प्राप्तियां

4.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वन प्राप्तियों से सम्बन्धित वर्ष 2006-07 के दौरान की गई अभिलेखों की नमूना जांच से 238 मामलों में 27.37 करोड़ रू0 की राशि की अवसूली/अल्पवसूलियां तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो मुख्यत: निम्नवत श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

(करोड़ रूपए)

क्रं0 सं0	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	रायल्टी की अवसूली/अल्प वसूली	27	1.59
2.	विस्तार शुल्क का अनुद्ग्रहण	33	1.01
3.	ब्याज का अनुद्ग्रहण	33	0.63
4.	अन्य अनियमितताएं	145	24.14
योग		238	27.37

वर्ष 2006-07 के दौरान विभाग ने 563 मामलों में 48.94 करोड़ रू0 के अवनिर्धारणों को स्वीकार किया जो विगत वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किये गये थे।

34.75 करोड़ रू0 से अंतर्ग्रस्त वित्तीय प्रभाव वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियों को दर्शाने वाले कुछ उदाहरणार्थ मामले निम्नांकित परिच्छेदों में दिये गये हैं।

4.2 इमारती लकड़ी के कम निस्सारण के कारण अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम (निगम) जिसे सभी वन समूहों के दोहन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, से लागत निर्धारण समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों पर निर्जीव, सूखे तथा गिरे हुए वृक्षों पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। यह ऐसे समूहों का दोहन भी करती है जो उच्च इमदादी दरों पर हक धारकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिन्हित की गई हों। फरवरी 1986 में वन विभाग द्वारा देवदार, कैल तथा चील के वृक्षों के लिए चिन्हित किये गये वृक्षों के (चिरान की गई इमारती लकड़ी, हक्कारी,* गूदा लकड़ी, आदि सहित) उत्पादन की प्रतिशतता खड़े आयतन के 65 प्रतिशत पर निर्धारित की गई थी।

वन मण्डलाधिकारी, चम्बा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जुलाई-अगस्त 2006 में यह पाया गया कि 1,789.92 घनमीटर खड़े आयतन की इमारती लकड़ी से समाविष्ट देवदार प्रजाति के निर्जीव, सूखे एवं गिरे हुए 804 वृक्ष वर्ष 2004-05 के दौरान दोहनार्थ चम्बा शहर के हकधारकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम को सौंपे गये। इनमें से, 44.48 घनमीटर खड़े आयतन वाले सात वृक्ष कार्य रूप देने योग्य नहीं थे क्योंकि ये दुर्गम ढलान पर स्थित थे। शेष 1,745.44 घन मीटर खड़े आयतन युक्त 797 वृक्ष गिराए गए थे तथा इमारती लकड़ी में रूपांतरित कर दिये गये थे जिनमें से इमारती लकड़ी की न्यूनतम 1,134.536 घनमीटर मात्रा प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। तथापि, निगम ने केवल 907.237 घनमीटर इमारती लकड़ी को ही निस्सारित किया। वन मण्डल अधिकारी ने न तो कम निस्सारण के लिए कारणों की छानबीन की तथा न ही निगम को

इसके लिए कारण स्पष्ट करने को कहा गया। इस प्रकार 227.299 घनमीटर इमारती लकड़ी के कम निस्सारण के फलस्वरूप 3.80 लाख रू0 के बिक्री कर सहित 16.46 लाख रू0 की रॉयल्टी की अल्प वसूली हुई।

मामला विभाग तथा सरकार को अगस्त 2006 में प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

4.3 बाड़ स्तम्भों की लागत प्रभारित न करना

वन विभाग, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोगकर्ता अभिकरण को स्थानांतरित किये गये क्षेत्र से दोगुने क्षेत्र में वनीकरण कार्य का निष्पादन करता है। विभागीय अनुदेशों के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अपेक्षित बाड़ स्तम्भों की लागत को उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूल करना होता है तथा राजस्व के रूप में सम्बद्ध शीर्ष के अंतर्गत जमा करना होता है । इसी प्रकार, परियोजना की जलागम क्षेत्र सुधार योजना के अंतर्गत जलागम क्षेत्र में वनीकरण कार्य करने के लिए अपेक्षित बाड़ स्तम्भों की लागत भी उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली योग्य है।

पांच♦ वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जुलाई 2006 तथा नवम्बर 2006 के मध्य यह पाया गया कि कुल 9,281.9546[Y] हैक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण तथा जलागम क्षेत्र सुधार योजना के अंतर्गत क्षेत्र के लिए अपेक्षित 5,80,359▲ बाड़ स्तम्भों की लागत▼ को मई 2004 तथा नवम्बर 2005 के

---

* काष्ठखण्ड के टुकड़े जो मध्य से दो भागों में काटे हो

♦ भरमौर, चम्बा, किन्नौर, रोहडू तथा बंजार स्थित सिराज

Y सीए: क्षेत्र: 636.9546 हैक्टेयर तथा सीएटी योजना: क्षेत्र: 8,645 हैक्टेयर

▲ सीए:47,459; सीएटी योजना: 5.32.900

▼ विभाग द्वारा 100 रू0 प्रति बाड़ स्तम्भ की दर से जारी किए बिलों के आधार पर निकाली गई बाड़ स्तम्भों की लागत

मध्य आने वाली अवधि के दौरान उपयोगकर्ता अभिकरणों से प्रभारित नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप सरकार को 1.71 करोड़ रू0 के बिक्री कर सहित 7.63 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामला विभाग तथा सरकार को अगस्त 2006 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

4.4 निवल वर्तमान मूल्य की अवसूली

हिमाचल प्रदेश सरकार (वन विभाग) ने अधिसूचना दिनांक 9 जनवरी 2004 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि परिवर्तित करने के लिए निवल वर्तमान मूल्य (पूर्व में पर्यावणीय मूल्य के नाम से पुकारा गया) का प्रभार लगाया। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दिनांक सितम्बर 2003 के अनुसार उन सभी मामलों में जिनमें सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है, निवल वर्तमान मूल्य प्रभारित किया जाएगा तथा अंतिम अनुमोदन का मामला भारत सरकार को भेजने से पूर्व वसूल किया जाएगा।

4.4.1 पांच[∞] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान अगस्त 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य यह पाया गया कि उपयोगकर्ता अभिकरणों के पक्ष में मई 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य भारत सरकार द्वारा सात मामलों में सैद्धांतिक रूप से गैर-वानिकी उपयोग हेतु 11.5202 हैक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। तथापि, सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारियों ने उपयोगकर्ता[∝] अभिकरणों के प्रति 11.5202 हैक्टेयर वन भूमि हेतु 70.49 लाख रू0 के निवल वर्तमान मूल्य का उद्ग्रहण नहीं किया।

4.4.2 भारत सरकार के आदेश दिनांक जून 2004 के अंतर्गत जहां भूमिगत कार्यों के आरम्भ करने के लिए वन क्षेत्र को विभाजित किया गया हो तथा जहां निर्वनीकरण कार्य सम्मिलित हो, निवल वर्तमान मूल्य का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि भरमौर तथा चम्बा के दो वन मण्डलों में 96.145 हैक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु संस्वीकृति प्रदान की गई। इसमें से 10.145[⊗] हैक्टेयर वन भूमि भूमिगत कार्यों हेतु अपेक्षित थी। इस क्षेत्र में 1,870 वृक्ष गिराये जाने तथा निर्मित की जाने वाली सुरंग[⊕] हेतु अपेक्षित थे। इसमें 58.84 लाख रू0 के निवल वर्तमान मूल्य का उद्ग्रहण आकर्षित होता था। इसका उदग्रहण नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप उस सीमा तक के सरकारी राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

मामला बिभाग तथा सरकार को अगस्त 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

4.5 विस्तार फीस का अनुद्ग्रहण

मूल्य निर्धारण समिति के निर्णय के अनुसार निगम के गठन से पूर्व ठेकेदारों को लागू अनुबन्ध एवं शर्तें वनों के दोहनार्थ निगम को लागू हुई थी। तदनुसार, पट्टावधि के समाप्त होने पर निगम का ऐसे वृक्षों पर कोई हक नहीं रहा जो वन में खड़े रह गये थे अथवा जो गिरा दिए गए थे अथवा अन्य बिखरी हुई/ढेर लगी इमारती लकड़ी जो पट्टे पर दिये गये वन से हटाई नहीं गई थी जब तक की पट्टा अवधि का अरण्यपाल/प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा

∞ धर्मशाला, कोटगढ़, नुरपूर, रेणुका जी तथा सुन्दरनगर स्थित सुकेत

∝ लोक निर्माण विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

⊗ भरमौर: 3.145 हैक्टेयर तथा चम्बा: 7 हैक्टेयर

⊕ शीर्ष स्थल का प्रवेश (मुख्य मार्ग की पहुंच) मार्ग (हाईडल परियोजना में जलीय संचालन पद्धति)

विस्तार नहीं किया गया हो। प्रदान किये गये सभी विस्तारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों पर विस्तार शुल्क देय था।

14* वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान मई 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य यह पाया गया कि 30 जून 2004 से 30 जून 2006 तक की पट्टा अवधि के दौरान निगम को दोहनार्थ 172 समूह सौंपे गये। यद्यपि, पट्टा अवधि के अन्दर दोहन का कार्य पूर्ण नहीं हो सका, 68.95 लाख रू0 के विस्तार शुल्क की वसूली नहीं की गई थी जैसा कि निम्नवत विवरणित है:

- सात मण्डलों में, निगम को पट्टा अवधि जो 30 जून 2006 को समाप्त हो गई थी, से आगे 76 समूहों में दोहन के कार्य को जारी रखने की अनुमति दी गई। निगम द्वारा भुगतान योग्य 26.99 लाख रू0 के विस्तार शुल्क की न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही पट्टाधारी द्वारा भुगतान किया गया।

- अन्य सात मण्डलों में निगम द्वारा मार्च 2006 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य 96 समूहों के विस्तार की पट्टा अवधि में मांगी गई विस्तार की स्वीकृति विभाग द्वारा अब तक प्रदान नहीं की गई। निगम ने 41.96 लाख के विस्तार शुल्क का भुगतान किए बिना दोहन का कार्य जारी रखा।

इस प्रकार, कार्य अवधि में विस्तार प्रदान न करने तथा शुल्क के अनुदग्रहण के फलस्वरूप 68.95 लाख रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात, तीन@ वन मण्डल अधिकारियों ने मई 2006 तथा जनवरी 2007 के मध्य सूचित किया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 12.35 लाख रू0 के बिल निगम के प्रति प्रस्तुत कर दिये हैं। अन्य मण्डलों से वसूली तथा उत्तर पर आगामी प्रतवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

मामले विभाग तथा सरकार को जून 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य प्रतिवेदित किये थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2007)।

4.6 आयतन के गलत मूल्यांकन गुणनखण्ड (कारक) लागू करने के कारण अल्प वसूली

अनुमोदित कार्य योजना में विभाग द्वारा निश्चित किये गये आयतन के मूल्यांकन कारक पर वृक्षों के खड़े घनफल आयतन के हिसाब से रॉयल्टी देय है।

वन मण्डल अधिकारी भरमौर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान अगस्त 2006 में यह पाया गया कि निगम/उपयोगकर्ता अधिकरण से 44.26 घनमीटर आयतन का कम दावा प्रस्तुत किया गया जैसाकि निम्नवत् विवरणित है:

- देवदार तथा कैल प्रजाति के V वीं® श्रेणी के वृक्षों हेतु आयतन मूल्यांकन कारक को वन मण्डल की अनुमोदित कार्य योजना में निर्धारित 0.22 घनमीटर के बजाय 0.06 घनमीटर लिया गया था। देवदार तथा कैल प्रजाति के 163& खड़े वृक्षों का आयतन मूल्यांकन कारक 35.86 घनमीटर बनता था जो कि वन मण्डल द्वारा निगम को सौंपते हुए 9.78 घनमीटर आंका गया।

---

* आनी स्थित लूहरी, भरमौर, चम्बा, चौपाल, चुराह, देहरा, धर्मशाला, किन्नौर, नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़, रामपुर, रोहड़ू तथा ठियोग

@ किन्नौर: 4.53 लाख रू0; रामपुर: 4.26 लाख रू0; तथा ठियोग: 3.56 लाख रू0

® एक वृक्ष का उसकी भिति की ऊंचाई पर परिधि के संदर्भ में वर्गीकरण

& देवदार: 11: आयतन 2.42 घनमीटर; कैल: 152: आयतन 33.44 घनमीटर

- इसी प्रकार फर प्रजाति के Vवीं श्रेणी के वृक्ष के आयतन मूल्यांकन कारक को कार्य योजना में निर्धारित 0.24 घनमीटर के बजाय 0.06 घनमीटर लिया गया था। मण्डल द्वारा 101 फर के खड़े वृक्षों के घनफल आयतन को राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना को सौंपते समय निर्धारित 24.24 घनमीटर के बजाय 6.06 घनमीटर आंका गया था।

- इसके फलस्वरूप वृक्षों की लागत, रॉयल्टी तथा बिक्री कर के कारण 2.24 लाख रू0 की अल्प वसूली हुई।

मामला विभाग तथा सरकार को सितम्बर 2006 में प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

4.7 बाल वृक्षों की लागत को प्रभारित न करना/अल्प प्रभारित करना

प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने अपने सितम्बर 1991 के पत्र में सभी वन मण्डल अधिकारियों को परियोजना प्राधिकारियों/उपयोगकर्ता अभिकरणों से बाल वृक्षों सहित सभी वृक्षों की लागत बाजार मूल्य पर प्रभारित करने के लिए निदेश दिए थे। लागत की गणना करने के लिए प्रत्येक बालवृक्ष को Vवीं श्रेणी का वृक्ष माना जाएगा।

तीन वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जनवरी 2005 तथा जनवरी 2007 के मध्य यह पाया गया कि 45.86 लाख रू0 की राशि के 1,17,674 बाल वृक्षों की लागत मण्डल द्वारा या तो प्रभारित नहीं की गई अथवा अल्प प्रभारित की गई जैसा कि निम्नवत् विवरणित है:

(लाख रूपए)

मण्डल का नाम	कुल बाल वृक्ष	प्रति बाल वृक्षों की दर रूपयों में		अल्प उद्गृहीत राशि		अल्प वसूल की गई कुल राशि
		उद्ग्राह्य/ उद्गृहीत	अल्प उद्गृहीत	बाल वृक्षों की लागत	बिक्रीकर [/]	
नालागढ़	814 खैर	520 / 10	510	4.15	1.24	5.39
	100 शीशम	646 / 10	636	0.63	0.19	0.82
	85 कीकर	195 / 10	185	0.16	0.05	0.21
रेणुकाजी	810 कोकट	195 / शून्य	195	1.58	0.20	1.78
सुन्दरनगर स्थित सुकेत	1,15,865[♣]	80 / 55	25	28.97	8.69	37.66
योग	1,17,674	..	..	35.49	10.37	45.86

इसके परिणामस्वरूप सरकार के 45.86 लाख रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल शिमला ने मई 2007 में बताया कि नालागढ़ वन मण्डल के सम्बन्ध में मार्च 2007 में 2.02 लाख रू0 वसूल किये जा चुके थे। शेष दो मण्डलों से वसूली का आगामी प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

मामला विभाग तथा सरकार को फरवरी 2005 तथा फरवरी 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

[/] वैट 12.5 %

[♣] प्रजातिवार विवरण नहीं दिया गया है, हानि की गणना करने के लिए न्यूनतम गुणवत्ता को लिया गया है

4.8 सावधि जमा में निधियां न रखने के कारण ब्याज हानि

संघीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुदेशों (22 मार्च 2004) के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण, निवल वर्तमान मूल्य, जलागम क्षेत्र सुधार योजना आदि की निधियों को सावधि जमा के रूप में राज्य के सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी अथवा नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में तब तक रखा जाना था जब तक क्षतिपूरक वनीकरण प्रबन्ध एवं योजना अभिकरण परिचालित हो जाते हो तथा जब तक केन्द्रीय सरकार से आगामी आवश्यक निदेश प्राप्त हो जाते हों।

तत्पश्चात संघीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह परामर्श दिया (22 जून 2004) कि राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र सरकारें सावधि जमाओं को आंशिक रूप से भुना सकती है यदि क्षतिपूरक वनीकरण तथा अन्य ऐसे कार्यों के प्रयोजन हेतु आवश्यक हो तथा चालू लेखा खोल सकती है। शेष राशि को वन मण्डल अधिकारी/नोडल

अधिकारी द्वारा सावधि जमा के रूप में रखा जाए। नोडल अधिकारी निधियों के उपयोग हेतु सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तथा सावधि जमा के रूप में शेष राशि का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। संघीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दिनांक 18 नवम्बर 2005 के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण प्रबन्धन एवं योजना अभिकरण का गठन पहले ही किया जा चुका था एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा 23 अप्रैल 2004 को अधिसूचित किया जा चुका था तथा क्षतिपूरक वनीकरण प्रबन्धन एवं योजना अभिकरण जब तक स्वीकरण हेतु लेखाशीर्ष सूचित करता है तब तक निधियों को नोडल अधिकारी अथवा राज्य के सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी के नाम से सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा तथा निवल वर्तमान मूल्य के रूप में वसूली गई निधियों को राज्य सरकार द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

28[π] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान मई 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य यह पाया गया कि 2004-05 से 2006-07 वर्षों के दौरान क्षतिपूरक वनीकरण, निवल वर्तमान मूल्य, जलागम क्षेत्र सुधार योजना आदि हेतु विभिन्न उपयोगकर्ता अभिकरणों से 54.24[*] करोड़ रू0 की राशि प्राप्त की गई। लेखापरीक्षा छानबीन से पाया गया कि 54.24 करोड़ रू0 की समस्त राशि को राजस्व शीर्ष "406-800-अन्य प्राप्तियां" के अंतर्गत मार्च 2005 तथा जुलाई 2006 के मध्य कोषागार में जमा करवाया गया था क्योंकि राज्य वित्त विभाग ने यह विचार प्रकट किया कि ऐसी निधियों को असीमित अवधि हेतु सावधि जमाओं में रखा जाना वित्तीय नियमावली का उल्लंघन होगा। 54.24 करोड़ रू0 की राशि को सावधि जमाओं में रखने के बजाय सरकारी कोषागार में रखने से सरकार को मार्च 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य 4.53 करोड़ रू0 (पांच प्रतिशत वार्षिक दर पर कोषागार में जमा करवाने की तिथि से संगणित) के ब्याज की हानि उठानी पड़ी। सरकारी कोषागार में राशि जमा करवाये जाने की राज्य सरकार की कार्रवाई मंत्रालय द्वारा इस विषय पर निर्धारित अपेक्षाओं के विपरीत थी क्योंकि क्षतिपूरक वनीकरण प्रबन्धन एवं योजना अभिकरण के अंतर्गत वसूल की गई निधियां क्षतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र सुधार योजना आदि के लिए थी तथा राज्य सरकार के राजस्व के रूप में नहीं मानी जानी थी। इससे इस सीमा तक विभाग/सरकार के राजस्व की भी मुद्रास्फीति हुई।

मामले विभाग तथा सरकार को जून 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य प्रतिवेदित किये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2007)।

[π] आनी, बिलासपुर, चुराह, डलहौजी, देहरा, धर्मशाला, हमीरपुर, जोगिन्द्रनगर, कुल्लू, कोटगढ़, कुनिहार, किन्नौर, नाचन, नालागढ़, नाहन, नूरपुर, पांगी, पार्बती, पालमपुर, राजगढ़, रोहडू, रेणुकाजी, रामपुर, सिराज, सुकेत, शिमला, ठियोग तथा ऊना

[*] 2004-05: 0.27 करोड़ रू0; 2005-06: 52.74 करोड़ रू0 तथा 2006-07: 1.23 करोड़ रू0

4.9 देवदार ठूंठ भागों का वजन न करने के कारण राजस्व हानि

राज्य सरकार ने मई 1996 तथा अक्तूबर 1996 में देवदार के तेल के विनिर्माण हेतु दो फर्मों के साथ देवदार के ठूंठ भागों की आपूर्ति के लिए एक अनुबन्ध किया। फर्मों को आपूरित किये जाने वाले ठूंठ भागों पर वर्ष 1996-97 के लिए रॉयल्टी की दर 130 रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई। इसके पश्चात् यह देवदार लकड़ी के तेल की विद्यमान बाजार दरों के अनुसार वर्षवार इस तथ्य पर कि यह 130 रू0 प्रति क्विंटल से कम न हो अथवा विगत वर्ष के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक हो, इनमें जो भी उच्चतर हो, निर्धारित की जानी थी। राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 1997 में यह निर्णय किया गया कि ठूंठ भागों का भार वास्तविक वजन के आधार पर लिया जाये। रॉयल्टी की दर विभाग द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत प्रति क्विंटल की दर से देवदार तेल की वसूली पर आधारित थी।

दो[α] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान नवम्बर 2006 तथा जनवरी 2007 के मध्य यह पाया गया कि विभाग द्वारा दो फर्मों को 11,169[β] देवदार के ठूंठ आपूरित किये गये। तथापि, क्षेत्रीय इकाइयों में चिन्हित किये गये ठूंठ भागों से निकाली गई देवदार की लकड़ी का वजन वास्तविक रूप से नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप विभाग देवदार के तेल की वास्तविक उत्पादन मात्रा पर नियंत्रण नहीं रख सका जो तीन प्रतिशत की निर्धारित सीमा के प्रति चार से छः प्रतिशत के मध्य थी। इसके फलस्वरूप रॉयल्टी की 27.62 लाख रू0 (बिक्री कर/मूल्य जमा कर सहित) की अल्प वसूली हुई जैसा कि निम्नवत् विवरण में दिया गया है:

वर्ष	निष्कासित देवदार तेल की कुल मात्रा	तीन प्रतिशत निष्कासन हेतु अपेक्षित देवदार लकड़ी का भार	विभाग द्वारा दर्शाई गई देवदार लकड़ी का वास्तविक भार	देवदार लकड़ी का अल्प लेखाकरण	144.30 रू0 प्रति क्विंटल की दर पर रॉयल्टी की अल्प वसूली (रूपये)	उद्ग्राह्य 30 प्रतिशत बिक्री कर/मूल्य जमा कर 12.5 प्रतिशत (रूपये)	कुल राशि (रूपये)
2004-05	40,814.10 कि0ग्रा0	13,605 क्विंटल	8,558.10 क्विंटल	5,046.90 क्विंटल	7,28,268	2,18,480	9,46,748
2005-06	65,278 कि0ग्रा0	21,759 क्विंटल	10,578 क्विंटल	11,181 क्विंटल	16,13,418	2,01,677	18,15,095
योग	1,06,092.10 कि0ग्रा0	35,364 क्विंटल	19,136.10 क्विंटल	16,227.90 क्विंटल	23,41,686	4,20,157	27,61,843 अर्थात 27.62 लाख रूपये

मामला विभाग तथा सरकार को दिसम्बर 2006 तथा फरवरी 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

4.10 पर्यावरणीय मूल्य हेतु क्षतिपूर्ति की अवसूली

24 जून 2002 की अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वानिकी उपयोग हेतु अपवर्तित वन भूमि के "पर्यावरणीय मूल्य" की हानि हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में प्रभार रोपित किया। यह क्षतिपूर्ति 10 प्रतिशत से अधिक आवृत्त वन क्षेत्रों के लिए 8 लाख रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से तथा शेष वन क्षेत्रों के लिए 5 लाख रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से अपवर्तित का कब्जा उपयोगकर्ता अधिकरण को सौंपने से पहले एक मुश्त भुगतान के रूप में उद्गृहीत की जानी है। ये दरें उन परियोजनाओं को भी लागू होनी

[α] करसोग: 20.33 लाख रू0 तथा गोहर स्थित नाचन: 7.29 लाख रू0

[β] करसोग: 8,648 तथा नाचन: 2,521

है जिनमें उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के अपवर्तन के लिए अनुमोदन तो प्रदान किया जा चुका हो परन्तु उपयोगकर्ता अभिकरण को वन भूमि का कब्जा अभी तक सौंपा जाना हो।

दो[⊕] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान नवम्बर 2004 तथा नवम्बर 2005 में यह पाया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवम्बर 2000 में राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम सीमित के पक्ष में कोल पन विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 64.13 करोड़ रू0 से समाविष्ट 954.69 हैक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन के लिए अनुमोदन प्रदान किया। इसमें से कुनिहार तथा शिमला मण्डलों की 415.0317 हैक्टेयर वन भूमि का कब्जा उपयोगकर्ता अभिकरण को नहीं सौंपा गया। भूमि के इस भाग हेतु पर्यावरणीय मूल्य के लिए 21.56 करोड़ रू0 की राशि का भुगतान न तो अभिकरण द्वारा किया गया तथा न ही निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई। इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की इस सीमा तक वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने मई 2007 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम से पर्यावरणीय मूल्य की हानि के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। वसूली के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

मामला सरकार को दिसम्बर 2004 तथा दिसम्बर 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

4.11 रॉयल्टी में अनियमित छूट प्रदान करना

अनुपयोगी घोषित करने के पश्चात् वृक्षों को दोहनार्थ चिन्हित किए जाने के लिए मूल्य निर्धारण समिति ने रॉयल्टी की रियायती दरें प्रदान करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की है। यदि गले-सड़े (अनुपयोगी) वृक्षों का घनफल आयतन कुल चिन्हित घनफल आयतन के पांच प्रतिशत से अधिक था तो उप मण्डलीय प्रबन्धक तथा सहायक अरण्पाल द्वारा वृक्ष काटने के पश्चात् दो महीनों की अवधि के अन्दर संयुक्त निरीक्षण करवाया जाना अपेक्षित था। ये अधिकारी प्रमाणित करेंगे कि मूल मुण्ड भाग पर अनुपयोगी वृक्ष 25 प्रतिशत अथवा अधिक गले-सड़े पाये गए तथा इनमें से कहीं भी तीन मीटर लम्बाई का एक मजबूत काष्ठखण्ड (मध्य भाग की न्यूनतम 1.5 मीटर परिधि), चार मीटर लम्बाई तथा चौड़ाई का एक मजबूत काष्ठखण्ड (किसी भी सिरे पर एक मीटर तथा तीन मीटर) लम्बाई वाला एक मजबूत खम्भा, (किसी भी सिरे पर 45 सैंटीमीटर घेरा) प्राप्त नहीं हुआ। इनको चिन्हित की जाने वाली सूची से हटाया जाना था तथा इनके लिए रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जाना था। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने भी सितम्बर 2004 में सुस्पष्ट किया कि किसी वृक्ष से एक मजबूत खम्भा/विशिष्ट आकार का काष्ठखण्ड नहीं निकाला जा सकता है, संयुक्त निरीक्षण में यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए।

छ:[▲] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान मई 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य यह पाया गया कि 2003-04 तथा 2005-06 के मध्य 34,186.704 घनमीटर खड़े आयतन के 21 समूह जिनमें देवदार, कैल, चील, फर तथा चौड़े पत्ते प्रजाति के वृक्ष शामिल थे, निगम को दोहनार्थ सौंपे गये। इनमें से, तीन[♦] मण्डलों में यद्यपि 15 समूहों के लिए वृक्षों का 3,061.794 घनमीटर आयतन अनुपयुक्त घोषित किया गया था जो कि कुल चिन्हित किये गये 25,957.766 घनमीटर आयतन के पांच प्रतिशत से अधिक था तथापि संयुक्त निरीक्षण नहीं करवाया गया। संयुक्त निरीक्षण न करवाने के लिए अभिलेख में कारण मौजूद नहीं थे। विभाग द्वारा 32.18 लाख रू0 राशि की रॉयल्टी में छूट भी दी गई।

[⊕] कुनिहार: 243.0317 हैक्टेयर तथा शिमला: 172 हैक्टेयर

[▲] चम्बा, कुल्लू, पार्वती, पांवटा साहिब, शिमला तथा ठियोग

[♦] कुल्लू, पांवटा साहिब तथा पार्वती (कुल चिन्हित आयतन: 25,957.766 घनमीटर)

शेष तीन* मण्डलों में 1,721.734 घनमीटर खड़े आयतन युक्त छः समूहों के 788 वृक्षों के यद्यपि संयुक्त निरीक्षण करवाये गये परन्तु निरीक्षण प्रतिवेदनों में यह प्रमाणित नहीं किया गया था कि वृक्षों से विनिर्दिष्ट आकार के सुदृढ़ काष्ठखण्ड/खम्भे प्राप्त नहीं हुए। अतः मण्डलीय अधिकारियों द्वारा रॉयल्टी में प्रदान की गई 35.28 लाख रू0 राशि की छूट अनियमित थी।

इसके परिणामस्वरूप निगम को 67.46 लाख रू0 (बिक्री कर/मूल्य जमा कर सहित) राशि की रॉयल्टी में अनियमित छूट प्रदान की गई।

मामले विभाग तथा सरकार को जून 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य प्रतिवेदित किये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2007)।

4.12 राजस्व की अल्प वसूली

परियोजना के सरिखण में आने वाले खड़े वृक्षों को चिन्हित किया जाता है तथा निगम को दोहनार्थ सौंपा जाता है। तथापि वृक्षों की कीमत उन उपयोगकर्ता अभिकरणों से वसूली जाती है जिन्हें वन भूमि के अंतरण हेतु भारत सरकार ने अपना अनुमोदन प्रदान किया हो। सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए विभिन्न प्रजाति के हरे खड़े वृक्षों के लिए बाजार भाव 15 मई 1993 को निर्धारित किये। तत्पश्चात् राज्य सरकार ने हरे खड़े वृक्ष प्रजातियों के भाव पूर्वप्रभावी रूप में 15 मई 1993 से संशोधित (दिसम्बर 2006) किये।

छः[Ψ] वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान दिसम्बर 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य यह पाया गया कि विभिन्न परियोजनाओं/पारेषण लाइनों के सरिखण में आने वाले 2,652.657 घनमीटर खड़े आयतनयुक्त चील प्रजाति के 7,378 वृक्षों की कीमत कम दरों पर प्रभारित की गई। तथापि, विभाग ने संशोधित दरों पर वृक्षों की कीमत सम्बन्धी अतिरिक्त मांग नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 1.98 करोड़ रू0 के सरकारी राजस्व की अल्प वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् वन मण्डल अधिकारी कुनिहार ने मार्च 2007 में बताया कि उपयोगकर्ता अभिकरण के प्रति 1.42 करोड़ रू0 (186 बाल वृक्षों तथा 58 चौड़े पत्तों वाले वृक्षों की कीमत सहित) की शेष राशि के लिए बिल जारी कर दिये गये थे। शेष मण्डलों से आगामी प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

मामला विभाग तथा सरकार को जनवरी 2007 तथा अप्रैल 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

---

* चम्बा, शिमला तथा ठियोग (कुल चिन्हित आयतन : 8,228.938 घनमीटर)

Ψ बिलासपुर: 378 वृक्ष: 97.59 घनमीटर ; धर्मशाला: 467 वृक्ष: 450.062 घनमीटर ; कुनिहार: 6,060 वृक्ष/1630.536 घनमीटर ; नाहन: 192 वृक्ष: 214.983 घनमीटर ; नालागढ़: 234 वृक्ष/212.406 घनमीटर तथा नुरपुर: 47 वृक्ष: 47.080 घनमीटर

पांचवां अध्याय: अन्य कर/कर-भिन्न प्राप्तियां

5.1 लेखापरीक्षा परिणाम

उद्योग, भू-राजस्व, सहकारिता तथा सामान्य प्रशासन विभागों से सम्बन्धित अभिलेखों की वर्ष 2006-07 में की गई नमूना जांच से 229 मामलों में 55.71 करोड़ रू0 की राशि की रॉयल्टी निर्धारित किए गए किराए की अवसूली, सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण/आवास ऋण पर छूट, स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, सरकारी शेयर पूंजी का विमोचन, आदि तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो मुख्यत: निम्नवत् श्रेणियों के अन्तर्गत आती है:

(करोड़ रूपए)

क्र0सं0	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	रॉयल्टी/निर्धारित किए गए किराए की अवसूली	23	19.81
2.	सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण/आवास ऋण पर छूट	139	4.82
3.	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/ अल्पोद्ग्रहण	18	0.25
4.	सरकारी शेयर पूंजी का विमोचन न करना/अल्प विमोचन करना	05	1.03
5.	अनाधिकृत अधिभोगियों से क्षतिपूर्ति की वसूली न करना	01	0.11
6.	अन्य अनियमितताएं	42	22.52
7.	**"हिमाचल प्रदेश में खनिजों से सम्बन्धित प्राप्तियों"** पर समीक्षा	01	7.17
योग		229	55.71

2006-07 के दौरान विभागों ने 39 मामलों में 2.07 करोड़ रू0 के अव-निर्धारण स्वीकार किए, जो विगत वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

अक्तूबर 2006 में देय विद्युत शुल्क के जमा न करने से सम्बन्धित प्रारूप परिच्छेद के जारी करने के उपरांत विभाग ने सूचित किया (मई 2007) कि अप्रैल 2007 में 30.27 करोड़ रू0 जमा किए जा चुके हैं।

3.61 करोड़ रू0 के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों को प्रकाशित करने वाले कुछ उदाहरणार्थ मामले तथा 7.17 करोड़ रू0 के मौद्रिक मूल्य से अंतर्ग्रस्त **"हिमाचल प्रदेश में खनिजों से सम्बन्धित प्राप्तियां"** पर समीक्षा निम्नवत् परिच्छेदों में दी जाती है।

क उद्योग विभाग (भू-वैज्ञानिक स्कंध)

5.2 समीक्षा: "हिमाचल प्रदेश में खनिजों से सम्बन्धित प्राप्तियां"

5.2.1 मुख्य-मुख्य बातें

- एक पट्टाधारी के पक्ष में सतह अधिकारों का अर्जन/हस्तांतरण करने में विलम्ब होने के फलस्वरूप परियोजना के संचालन का प्रारम्भ करने में स्थगन हुआ। परिणामत: राज्य का राजकोष अप्रैल 2001 से मार्च 2006 के दौरान 51.47 करोड़ रू0 के प्रत्याशित राजस्व से वंचित रहा।

(परिच्छेद 5.2.10)

- खनन बन्द करने से सम्बन्धित योजनाओं के लिए वित्तीय आश्वासन प्राप्त न करने के फलस्वरूप पट्टाधारियों को 1.13 करोड़ रू0 की राशि की अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(परिच्छेद 5.2.14)

- अंतर्राज्यीय सीमा पर खड्ड का सीमांकन करने में विलंब तथा खनिजों को अवैध रूप से निकालने के फलस्वरूप अप्रैल 2003 से मार्च 2006 के दौरान लगभग 8.40 करोड़ रू0 के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 5.2.16)

- लघु खनिजों की रॉयल्टी दरों का संशोधन न करने के फलस्वरूप 3.98 करोड़ रू0 के सरकारी राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

(परिच्छेद 5.2.17)

- हमीरपुर की नदी की सतहों/खड्ड में कार्य करने के व्यवहार्यता प्रतिवेदनों का कार्यान्वयन न करने के फलस्वरूप अप्रैल 2004 से मार्च 2006 के दौरान 6.43 करोड़ रू0 की सीमा तक राजस्व में कमी हुई।

(परिच्छेद 5.2.20)

- 86 खनिज योग्य स्थलों की नीलामी न करने के फलस्वरूप स्थलों का दोहन नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप अप्रैल 2001 से अगस्त 2003 के दौरान 78 लाख रू0 के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 5.2.21)

5.2.2 परिचय

खननों तथा खनिजों से मुख्यत: रायॅल्टी, निर्धारित किराया, सतह का किराया, शुल्कों तथा शास्तियों से समाविष्ट प्राप्तियां होती हैं। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले प्रधान मुख्य खनिज लाइम स्टोन, डोलोमाइट स्टोन, रॉक साल्ट, सिलिका, रेत, शैल आदि हैं। क्वार्टजाईट, छत की स्लेटें, पत्थर, रेत तथा बजरी जैसे लघु खनिज भी राज्य में उपलब्ध हैं।

मुख्य खनिजों का निस्सारण खनन एवं खनिज (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1957 तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अन्तर्गत निस्सारण तथा नियन्त्रण किया जाता है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत राज्य सरकार को लघु खनिजों के संदर्भ में खनन पट्टा की संस्वीकृति का विनियम करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। तदनुसार हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली 1971 बनाई गई। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खनिज निति, 1993 का प्रख्यापन किया, जिसमें खनिज निकालने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व उत्पादकता मानकों पर बल दिया गया। लघु खनिजों के संदर्भ में खनन प्रचालन अनुबन्धों, अल्पकालीन अनुज्ञापत्रों, नीलामियों तथा पट्टों के माध्यम से किए गए। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में खनन अधिकार राज्य सरकार में निहित हैं। तथापि, कांगड़ा जिला के डमटाल तथा खनियारा क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश खनिज (अधिकारों का निहितिकरण), अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत खनिज अधिकारों का अर्जन किया गया।

5.2.3 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक अध्यक्ष है, जबकि निदेशक, उद्योग विभागाध्यक्ष है, जिसे भू-विज्ञानी तथा 11 खनन अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है और वे खनन प्राप्तियों का संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी हैं।

5.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

मई 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य सभी 11 खनन अधिकारियों के 2001-02 से 2005-06 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। इसके अतिरिक्त खनिज प्राप्तियों से सम्बन्धित निदेशक, उद्योग के अभिलेखों की भी जांच की गई।

5.2.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षात्मक जांच करने के उद्देश्य से निम्नवत् की लेखापरीक्षा की गई:

- खनिज निक्षेपों का अन्वेषण, प्रमाणिकता तथा उनका दोहन, खनिज स्थलों का संरक्षण तथा विकास;
- खननों तथा खनिजों से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमावलियों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन का निर्धारण; तथा
- खनिज प्राप्तियों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।

5.2.6 राजस्व की प्रवृति

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विगत वर्षों के आंकड़े तथा संशोधित प्राक्कलन सामान्यत: बजट प्राक्कलन तैयार करने में सर्वोत्तम मार्गदर्शन का कार्य करते हैं तथा इसके प्रतिकूल सुनिश्चित कारण होने के अभाव में उन सभी मामलों जिनमें आनुपातिक प्राक्कलनों का लाभकारी रूप से उपायेग किया जा सकता है उचित रूप से कोई वृद्धि अथवा गिरावट मानी जा सकती है। किन्तु राजस्व के उन नए स्रोतों जिन्हें पूर्व वर्षों में सम्मिलित नहीं किया गया है के संदर्भ में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उक्त नियमावली के अन्तर्गत बजट तैयार करना वित्त विभाग का कार्य है तथा इसे तैयार करने के लिए वित्त विभाग का विभागाध्यक्षों तथा अन्य प्राधिकारियों से प्राक्कलन तैयार करने सम्बन्धी सामग्री की मांग करने का प्राधिकार प्राप्त है। इसके आगे विभागाध्यक्ष इस सामग्री के लिए आगे जिला तथा अन्य अधिकारियों जो राजस्व का संग्रहण करते हैं, पर निर्भर रहते हैं।

2001-02 से 2005-06 के वर्षों के दौरान विभाग के रायॅल्टी तथा अन्य देयों के बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य की गई तुलना से निम्नवत् उदघाटित हुआ:

(करोड़ रूपए)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर आधिक्य/कमी	% अन्तर
2001-02	26.02	32.97	6.95	27
2002-03	30.00	35.46	5.46	18
2003-04	30.04	36.84	6.80	23
2004-05	30.04	38.42	8.38	28
2005-06	36.04	42.90	6.86	19

उपर्युक्त से यह देखा जाएगा कि बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आंकड़ों में भारी परिवर्तन था तथा यह 18 से 28 प्रतिशत के मध्य रहा। इन सभी वर्षों में बजट प्राक्कलन विगत वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों से कम रखे गए। अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं था जो यह इंगित कर सके कि बजट प्राक्कलन किसी वास्तविक आंकड़ों अथवा सूचना पर आधारित थे। विभाग ने राजस्व के संग्रहण में लगी क्षेत्रीय इकाइयों से सूचना एकत्रित नहीं की तथा इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार करने के मामले में नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया।

इसे इंगित करने पर विभाग ने जुलाई 2007 में सूचित किया कि खनिजों के अधिक प्रयोग, विकासात्मक कार्यकलापों व जल विद्युत परियोजनाओं में वृद्धि, तथा वे प्राप्तियां जिनका प्राक्कलन तैयार करने के समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता था के कारण वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि भविष्य में क्षेत्रीय इकाइयों से आवश्यक आंकड़े प्राप्त किए जाएंगे तथा तद्नुसार बजट प्राक्कलन तैयार किए जाएंगे।

5.2.7 बकायों की स्थिति

31 मार्च 2006 को 2001-02 से 2005-06 की अवधि से सम्बन्धित बकायों की स्थिति निम्नवत् थी:

(लाख रूपए)

क्र० सं०	वर्ष	1 अप्रैल को अथ शेष	जोड़े गए	योग	वर्ष के दौरान वसूली	वर्ष के अन्त में बकाया	विगत वर्ष की अपेक्षा बकाया में %वृद्धि (+) कमी (-)
1.	2001-02	262.07	8.40	270.47	9.75	260.72	(-)0.51
2.	2002-03	260.72	10.94	271.66	13.77	257.89	(-)1.08
3.	2003-04	257.89	2.43	260.32	25.87	234.45	(-)9.08
4.	2004-05	234.45	2.87	237.32	13.39	223.93	(-)4.48
5.	2005-06	223.93	50.18	274.11	5.20	268.91	(+)20.08

31 मार्च 2006 को लम्बित 2.69 करोड़ रू0 में से मैसर्ज़ सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, राजबन से 1992 से 1999 तक 2 करोड़ रू0 का रॉयल्टी के रूप में संग्रहण लम्बित पड़ा था। 1996 में फर्म रूग्ण घोषित की गई और इसे औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण मण्डल के पास रैफर कर दिया गया। इस मण्डल ने मई 2006 में फर्म के लिए एक पुन:स्थापन स्कीम/पैकेज अनुमोदित किया, जिसके अनुसार फर्म ने वित्त वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ करते हुए तीन समान किस्तों में रॉयल्टी के बकायों का भुगतान करना था।

68.91 लाख रू0 की शेष राशि का आयुवार विश्लेषण निम्नवत् था:

(लाख रूपए)

	10 वर्ष से अधिक		5 वर्षों से अधिक किन्तु 10 वर्षों से कम		5 वर्ष से कम		योग	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
भू-राजस्व के बकाया के रूप में देय जिनकी वसूली लंबित है।	26	5.68	..	..	24	47.48	50	53.16
न्यायालों में लंबित	..	..	..	..	..	..	..	..
अपलेख हेतु लंबित	01	0.05	..	..	..	..	01	0.05
विभागीय स्तर पर लंबित	89	2.54	3	3.90	21	9.26	113	15.70
योग	116	8.27	3	3.90	45	56.74	164	68.91

जून 2006 में इसे इंगित करने पर विभाग ने बताया कि 31 मार्च 2006 को विभागीय स्तर पर 10 वर्षों से अधिक लम्बित पड़े 89 मामलों में से 43 मामलों में 0.47 लाख रू0 की वसूलियां की गई तथा 2.07 लाख रू0 के शेष 46 मामलों में अभी वसूली की जानी लम्बित थी।

निदेशालय कार्यालय के अभिलेखों की जांच से उद्घाटित हुआ कि उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग के 36 मामलों में अप्रैल 2001 तथा मार्च 2006 के मध्य किए गए भू-तकनीकी अध्ययनों के संदर्भ में 28 लाख रू0 की राशि की वसूली लम्बित थी। इनमें से 23 लाख रू0 से अन्तर्ग्रस्त 16 मामलों में बकायों की वसूली के संदर्भ में मांग एक से छः मास के मध्य के विलंब सहित की गई। 28 लाख रू0 की यह शेष राशि बकायों में सम्मिलित नहीं की गई थी।

इसे इंगित करने पर विभाग ने जुलाई 2007 में बताया कि अब इस राशि को वर्ष 2006-07 के बकाया विवरण में सम्मिलित कर दिया गया था तथा दो मामलों में 0.08 लाख रू0 की राशि की वसूली की जा चुकी थी।

5.2.8 दीर्घकालीन राष्ट्रीय खनिज नीति को अन्तिम रूप न देना

राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसार निदेशक, उद्योग विभाग ने राज्य में उपलब्ध खनिजों का व्यापक सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करके एक दीर्घकालीन खनिज नीति बनानी थी। तथापि, अभी तक यह नीति नहीं बनाई गई है। इस संदर्भ में कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किए गए।

विभाग द्वारा सूचित किए गए खनिजों के अनवेषण के संदर्भ में 2001-02 से 2005-06 के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों के ब्यौरे निम्नवत् थे:

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
सम्पन्न किए गए/ किए गए सर्वेक्षण	0.96 वर्ग कि0मी0 (लाइम स्टोन का अन्वेषण)	0.805 वर्ग कि0 मी0 (लाइम स्टोन का अन्वेषण)	0.98 वर्ग कि0मी0 (0.48 वर्ग कि0मी0 लाइम स्टोन के लिए तथा 0.05 वर्ग कि0 मी0 रेत निक्षेप)	2.05 वर्ग कि0मी0 (नदी के तल में लघु खनिज निक्षेप प्रमाणीकरण हेतु)	1.31 वर्ग0कि0मी0 (नदी के तल में लघु खनिज निक्षेप प्रमाणीकरण हेतु)
किया गया मानचित्रण	--यथोपरि--	--यथोपरि--	--यथोपरि--	--यथोपरि-	--यथोपरि--
किया गया ड्रिलिंग कार्य	1,358.2 मीटर	1,096.95 मीटर	781.9 मीटर	734.55 मीटर	341.85 मीटर
खोजे गए नए खनिज तथा प्रमाणीकरण से सम्बन्धित खनिजवार ब्यौरे	दो नए लाइमस्टोन निक्षेपों का सविस्तृत रूप से प्रमाणीकरण प्रारम्भ किया गया।	लाइमस्टोन निक्षेपों का सविस्तृत रूप से प्रमाणीकरण जारी रहा।	लाइमस्टोन निक्षेपों का सविस्तृत रूप से प्रमाणीकरण जारी रहा।	लाइमस्टोन निक्षेपों का सविस्तृत रूप से प्रमाणीकरण जारी रहा।	लाइमस्टोन निक्षेपों का सविस्तृत रूप से प्रमाणीकरण जारी रहा।

किया गया अधिक ड्रिलिंग कार्य नए स्थानों पर नए खनिज खोजने का एक निष्पादन सूचक है। तथापि, उपरोक्त तालिका 2002-03 से आगे गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाती है तथा वर्ष 2001-02 की तुलना में 2005-06 के दौरान यह अधिकांशत: एक चौथाई थी।

विभाग ने खनिज अन्वेषणों के क्षेत्र में खनन क्रियाकलापों के नियामक पहलुओं तथा भू-तकनीकी अन्वेषण समय पर पूर्ण करने में गिरावट की प्रवृत्ति का कारण तकनीकी तथा सहायक स्टाफ की कमी बताया।

इसे इंगित करने पर विभाग ने जुलाई 2007 में बताया कि शिमला जिला में गुम्मा (चौपाल) में मैसर्ज सीमेंट इण्डिया लिमिटेड को तीन ड्रिलिंग रिग्ज जुटाने की व्यवस्था की गई थी तथा यह प्रत्याशा की गई थी कि इससे ड्रिलिंग प्रगति में बहुत तीव्रता आएगी।

खनिजों का दोहन

मुख्य खनिज

5.2.9 प्रमाणित किए गए मुख्य खनिज निक्षेपों का अल्प-दोहन

खनिज उद्योग के लिए लाइम स्टोन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध एक प्राकृतिक स्रोत तथा एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तथापि,मितव्ययी रूप से ऐसे खनिज निक्षेपों के स्थान ढूंढना तथा उनके सर्वेक्षण किए जाने अपेक्षित होते हैं।

उद्योग विभाग (भू-विज्ञानी स्कंध) ने लाइमस्टोन निक्षेपों की निम्नवत् प्रकार से शिनाख्त की थी:

मिलियन टन

जिला	प्रमाणित किए गए	सम्भावित	सम्भव	योग
बिलासपुर	370	150	500	1,020
चम्बा	400	850	100	1,350
कांगड़ा	10	20	10	40
कुल्लू	..	..	120	120
मण्डी	500	20	600	1,120
सिरमौर	150	200	1,200	1,550
शिमला	..	50	1,600	1,650
सोलन	550	100	1,000	1,650
लाहौल एवं स्पिति	..	..	1,000	1,000
किन्नौर	..	..	100	100
योग	1,980	1.390	6,230	9,600

राज्य सरकार द्वारा 441 मिलियन टन (एमटी) के निक्षेपों का आच्छादन करने वाले तीन[⊗] सीमेंट संयंत्रों के माध्यम से लाइमस्टोन निक्षेपों का दोहन करवाया गया, जिससे 1,539 मीट्रिक टन अर्थात 78 प्रतिशत प्रमाणित निक्षेप टैप किए बिना छोड़ दिए गए।,

इसके अतिरिक्त एक-एक एमटी की क्षमता वाले सीमेंट संयत्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1995 तथा 2002 के मध्य तीन बोलीदाताओं के साथ तीन मतैक्य ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। इनमें से एक के मामले में पट्टाधारक को भूमि का कब्जा नहीं दिया गया तथा दो अन्य मामलों में पट्टाधारक ने निर्धारित समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया तथा उनके अनुबन्ध निरसन कर दिए गए। परिणामतः लाइम स्टोन का दोहन प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इनकी अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की जाती है।

5.2.10 धरातल अधिकारों का अंतरण करने में विलंब

कोयला तथा खनन मंत्रालय के अनुमोदन से मैसर्ज राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के साथ सोलन जिला में 2.382 वर्ग कि0मी0 (232.60 हैक्टेयर) क्षेत्र में मुख्य खनिजों के लिए अगस्त 1991 में 20 वर्ष की अवधि के लिए एक खनन पट्टा विलेख से सम्बन्धित अनुबंध किया गया। पट्टा के अनुसार पटटा बिलेख निष्पादित किए जाने की तिथि से दो वर्ष के भीतर खनन प्रचालन प्रारम्भ किए जाने थे। तथापि, परियोजना के लिए अपेक्षित निजी

⊗ सी0सी0आई0 राजबन, जी0ए0सी0एल0 दाड़लाघाट तथा ए0सी0सी0 बरमाणा

भूमि पर धरातल अधिकार अंतरित न किए जाने के कारण पट्टाधारक निर्धारित अवधि के भीतर खनन प्रचालन प्रारम्भ नहीं कर सका। परियोजना प्रारम्भ न किए जाने के कारण 6 सितम्बर 2002 को पट्टाधारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पट्टाधारक ने यह कहते हुए कि गम्भीर प्रयास तथा भारी निवेश करने के बावजूद उसे निजी भूमि पर धरातल अधिकार नहीं दिए गए इन आरोपों का खण्डन किया। राज्य सरकार ने जनवरी 2003 में यह मामला न्याय निर्णय/खनन पट्टा का निरसन करने के लिए कोयला तथा खनन मंत्रालय को भेज दिया। इतने में इस्पात मंत्रालय ने मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्बोधित दिनांक जून 2003 के अपने पत्र में राज्य सरकार द्वारा पट्टाधारक को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर आश्चर्य प्रकट किया। इसमें यह कहा गया कि क्योंकि मैसर्ज राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को धरातल अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे, अत: परियोजना को प्रारम्भ करना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त राज्य राजकोष को हुई राजस्व हानि[♣] की गणना करते हुए इस्पात मंत्रालय ने परियोजना कार्यकलाप प्रारम्भ करने के लिए भूमि के अर्जन तथा इस्पात मंत्रालय को अनुमति प्रदान करने के लिए बल दिया। इस प्रकार परियोजना प्रारम्भ करने में नौ वर्ष के विलंब के कारण राज्य का राजकोष अप्रैल 1997 से आगे केवल रायॅल्टी के संदर्भ में अनावश्यक रूप से 91.47 करोड़ रू0 के प्रत्याशित राजस्व से वंचित किया गया,जिसमें से 51. 47[*] करोड रू0 अप्रैल 2001 से मार्च 2006 की अवधि से सम्बन्धित थे ।

विभाग ने मई 2006 में स्वीकार किया कि निजी भूमि पर सतही अधिकारों का अर्जन करने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को राज्य सरकार के अनुमोदन को सूचित करने में विलंब के कारण परियोजना प्रारम्भ करने में विलंब हुआ।

5.2.11 प्रतिभूति जमा का जब्त न किया जाना

राज्य सरकार ने निजी निवेशों के साथ चयनात्मक अधार पर निजी क्षेत्र में वृहत् क्षमता वाली परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए जुलाई 1995 तथा फरवरी 2002 में दो निजी कंपनियों[♠] के साथ मतैक्य ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। प्रत्येक अभिप्रेत कंपनी को अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मतैक्य ज्ञापन हस्ताक्षर करने के 15 दिन के भीतर अशोध्य बैंक गारंटी के रूप में 10 लाख रूपये की प्रतिभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित था । यदि कंपनी मतैक्य ज्ञापन के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है तो प्रतिभूति जमा का सरकार के पक्ष में व्यपगमन हो जाना अपेक्षित था ।

अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि कोई भी परियोजना प्रांरभ नही की गई थी तथा अक्तूबर 2005 व जुलाई 2006 में मतैक्य ज्ञापनों का निरसन कर दिया गया । किन्तु प्रतिभूति जमाओं का सरकार को व्यपगमन नही किया जा सका, क्योंकि कंपनियो द्वारा दी गई बैंक गारंटियों का पहले ही जुलाई 2002 तथा मई 2003 में व्यपगमन हो चुका था । इसके फलस्वरूप 20 लाख रू0 की हानि हुई। विभाग ने गारंटियों की वैधता समाप्त होने के बाद उनका पुनर्वैधीकरण करवाने हेतु कोई प्रयास नही किए थे।

इसके अतिरिक्त राज्य का राज्यकोष अप्रैल 2001 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान प्रस्तावित पांच एमटी सीमेंट के उत्पादनार्थ अपेक्षित लाइम स्टोन पर रॉयल्टी के संदर्भ में 20 करोड़ रू0 के न्युनतम राजस्व से वंचित रह गया ।

इसे इंगित करने पर विभाग ने जुलाई 2007 में स्वीकार किया कि दोनों मामलो में बैंक गारंटियो का व्यपगमन हो गया था ।

♣ मंत्रालय द्वारा 12.44 करोड़ रू0 प्रतिवर्ष अथवा पांच वर्षों के लिए 62.20 करोड़ रू0 के राजस्व हानि की गणना की गई

* प्रति वर्ष दो मिलियन टन की प्रस्तावित संस्थापित क्षमता पर

♠ मैसर्ज लार्सन एण्ड टौबो लिमिटेड तथा मैसर्ज ग्रासिम उद्योग लिमिटेड

5.2.12 रॉक साल्ट पर रॉयल्टी की वसूली न करना

भारत सरकार, खनन मंत्रालय द्वारा खनिज रियायत नियमावली में किए गए अप्रेल 2003 के संशोधन के अनुसार रॉक साल्ट पर रॉयल्टी की गणना भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा "खनिज उत्पादन के मासिक आंकड़े " में प्रकाशित औसत के मूल्य के अधार पर कही जानी थी । राज्य सरकार ने देय रॉयल्टी की गणना करने के लिए इस प्रकार से निकाले गए मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से *बैंच मार्क* मूल्य में 20 प्रतिशत जोड़ना था ।

मंडी जिला में 665-18-10 बीघा क्षेत्र में सरकारी सॉल्ट कार्य के स्वामित्व तथा प्रबंधन के लिए भारत सरकार के *सॉल्ट* आयुक्त तथा मैसर्ज हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित किए गए पट्टा विलेख अनुबंध का 1 मई 1983 से 30 अप्रैल 2003 तक 20 वर्ष के लिए नवीकरण किया गया था। यद्यपि पट्टाधारक ने मई 1997 में इसके नवीकरण हेतु आवेदन किया था तो भी इसके उपरांत पट्टा अनुबंध का नवीकरण नहीं किया गया। पट्टा अनुबंध अभी भी लंबित था। कम्पनी द्वारा अप्रैल 2003 के बाद भी खनिज निकालना जारी रहा। कंपनी द्वारा खनन अधिकारी मण्डी को प्रस्तुत की गई मासिक विवरणी के अनुसार जून 2003 से मार्च 2006 तक 6,691 मीट्रिक टन रॉक सॉल्ट निकाला गया, जिस पर 9.77 लाख रू0 की रॉयल्टी वसूल की जानी थी। विभाग ने न तो इस राशि की मांग की और न ही कम्पनी द्वारा इसकी अदायगी की गई।

इसे इंगित करने पर जुलाई 2007 में विभाग ने बताया कि इस कम्पनी को रॉयल्टी की राशि जमा करवाने के लिए निदेश दिए गए थे (मई 2007)। अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित था।

5.2.13 पट्टों का नवीकरण न करना

खनिज रियायत नियमावली के अन्तर्गत पट्टा समाप्त होने की देय तिथि से न्यूनतम 12 मास पूर्व खनन पट्टा के नवीकरण हेतु राज्य सरकार को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना होता है। पट्टों के नवीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि सिरमौर जिला में 20 वर्ष की अवधि के 23 पट्टों तथा 10 वर्ष की अवधि के एक पट्टे का नवम्बर 1984 तथा नवम्बर 2005 के मध्य नवीकरण देय था। इन सभी फर्मों ने निर्धारित समय में आवेदन किया था, किन्तु 6 से 252 मास के विलंब के बावजूद नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार पट्टों का नवीकरण नहीं किया गया:

क्र0 सं0	नवीकरण न करने के कारण	मामलों की संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	अवधि
1.	बकाया देयों की अदायगी न करना	1	255.07	14 वर्षों से अधिक (1992 से)
2.	संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति न होने के कारण नवीकरण न करना	7	7,679.00	3 मास से 2 वर्ष
3.	आईबीएम प्रतिवेदन प्राप्त न होना	3	34.31	6 मास से 13 वर्ष
4.	ग्राम पंचायत/शामलात* भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त न होना	2	17.84	11 से 21 वर्ष
5.	प्रलेख प्रस्तुत न करना	2	182.97	2 से 8 वर्ष
6.	एफसीए, 1980 के अंतर्गत वन विभाग/पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त न करना	1	3.21	8 वर्ष से अधिक
7.	खनन अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त न होना	2	43.00	10 मास से 1 वर्ष
8.	पट्टा क्षेत्र से वन भूमि का अभ्यर्पण न किया जाना	2	54.06	2 से 8 वर्ष
9.	खनन क्षेत्र का निरीक्षण न किया जाना	2	735.25	1 से 5 वर्ष
10	निरसन हेतु कारण बताओ नोटिस	1	43.12	8 वर्ष से अधिक
11.	दलों के मध्य विवाद	1	8.03	3 वर्ष से अधिक

* सांझी भूमि

12 कम्पनियों के अतिरिक्त इन सभी कम्पनियों ने पट्टा अवधियों के उपरांत खनन प्रचालन जारी रखे। कुछ ने 10 वर्षों के उपरांत खनन प्रचालन जारी रखे जो नवीकरण योग्य पट्टा अवधि का आधा था। इस प्रकार पट्टा विलेख के नवीकरण हेतु प्रावधान निरर्थक सिद्ध हुआ।

5.2.14 खनन बन्द करने से सम्बन्धित योजनाओं तथा वित्तिय आश्वासनों का अनुमोदन न करना/ प्रस्तुत न करना

खनिज रियायत नियमावली के संशोधन (अप्रैल 2003) के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टाधारी को संशोधन की तिथि अर्थात् अप्रैल 2003 से 180 दिन के भीतर खनन बन्द करने से सम्बन्धित एक उत्तरोत्तर♣ योजना प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी। खनन को अन्तिम♠ रूप से बन्द करने के मामले में पट्टाधारक को खनन बन्द करने से एक वर्ष की अवधि के पूर्व ही बन्द करने से सम्बन्धित अन्तिम योजना प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी। प्रत्येक पट्टाधारक को किसी अनुसूचित बैंक से साख पत्र अथवा प्रतिभूति बंधपत्र के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में जो सक्षम प्राधिकारी को स्वीकार्य हो, वित्तीय आश्वासन▽ प्रस्तुत करना अपेक्षित था। आश्वासन की राशि परित्यक्त खननों की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित प्रत्याशित राशि पर आधारित थी। पट्टाधारकों को वित्तीय आश्वासन क्षेत्रीय खनन नियंत्रक अथवा इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करने थे।

जून 2006 में अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि 62 पट्टाधारकों के संदर्भ में या तो खनन बन्द करने से सम्बन्धित योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई अथवा वित्तीय आश्वासन के साथ संलग्न नहीं की गई। इसके फलस्वरूप 1.13 करोड़ रू0 के वित्तीय आश्वासन प्राप्त नहीं हुए, जिनका ब्यौरा निम्नवत् है:

(लाख रूपए)

क्र0 सं0	कारण	मामलों की संख्या	वित्तीय आश्वासन की राशि	अवधि
1.	खनन बन्द करने से सम्बन्धित योजनाएं प्रस्तुत/अनुमोदित न की गई योजनाएं	47	47	3 वर्ष से अधिक
2.	खनन बन्द करने से सम्बन्धित योजनाओं का आग्रह किए बिना विधेदक तिथि के उपरांत खनन योजनाएं अगले पांच वर्ष के लिए अनुमोदित की गई।	10	10	-तदैव-
3.	खनन बन्द करने से सम्बन्धित योजनाएं अनुमोदित की गई, किन्तु वित्तीय आश्वासन प्राप्त नहीं किया गया/कम प्राप्त किया गया।	5	56	-तदैव-
	योग	62	113	

नियमों के उल्लंघन के अतिरिक्त खनन विभाग द्वारा कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप पट्टाधारकों को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ। विभाग ने किसी भी अवस्था पर पट्टाधारकों को वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत करने के लिए दबाव नहीं डाला।

इसे इंगित करने पर विभाग ने जुलाई 2007 में बताया कि 62 मामलों में से 26 मामलों में खनन बन्द करने से सम्बन्धित योजनाएं तैयार की जा रही थी, जबकि 33 मामलों में इन्हें भारतीय खनन ब्यूरो को प्रस्तुत कर दिया गया था/भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा अनुमोदित कर दी गई थी। शेष मामलों में की गई अन्तिम कार्रवाई से अवगत नहीं करवाया गया है। तथापि, वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत करने के संदर्भ में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

♣ किसी खनन अथवा इसके किसी भाग में संरक्षात्मक, सुधार तथा पुनर्वास उपाय/साधन प्रदान करने के उद्देश्य से एक उत्तरोत्तर योजना

♠ खनन प्रचालन बन्द करने के उपरान्त खनन अथवा इसके किसी भाग में कार्य पुन: प्रारम्भ न करने, भूमि उधार न लेने अथवा पुनर्वास के लिए एक योजना

▽ वित्तीय आश्वासन खननों की श्रेणी पर आधारित था। न्यूनतम वित्तीय आश्वासन 2 लाख रू0 तथा 1 लाख रू0 क्रमश: क तथा ख श्रेणी की खननों हेतु था

5.2.15 निर्धारित किराया, रायॅल्टी तथा धरातल किराया की वसूली न करना/अल्प वसूली करना

अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारक को निर्धारित किराया अथवा रॉयल्टी, जो भी अधिक हो, की अदायगी करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त निर्धारित दरों पर धरातल किराए की भी अदायगी की जानी थी।

जुलाई 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य नौ[ƒ] खनन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 84 मामलों में निर्धारित किराया, रॉयल्टी तथा धरातल किराया से सम्बन्धित 35.28 लाख रू0 की वसूली देय थी, किन्तु इसकी वसूली नहीं की गई।

इसे इंगित करने पर विभाग ने जुलाई 2007 में बताया कि 18.91 लाख रू0 की राशि वसूल की जा चुकी थी तथा 16.37 लाख रू0 की बकाया राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

लघु खनिज

5.2.16 अंतर्राज्यीय सीमा पर खड्ड के सीमांकन करने में विलंब

खनन अधिकारी कांगड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि चक्की खड्ड (हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब राज्य के मध्य एक अंतर्राज्यीय सीमा) में अवैध खनन कार्यकलाप किए जा रहे थे। इन क्रियाकलापों में पंजाब राज्य के बारह स्टोन क्रशर अंतर्ग्रस्त थे। अगस्त 2003 में हिमाचल की सीमा के स्टोन क्रशरों द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया कि राज्य सरकार को प्रति वर्ष केवल 12 स्टोन क्रशरों द्वारा की गई अवैध खनन क्रियाकलापों के फलस्वरूप देय रॉयल्टी के संदर्भ में 2.80 करोड़ रू0 की हानि हो रही थी। निदेशक,

उद्योग ने जून 2005 में राजस्व विभाग को खड्ड का सीमांकन करने का अनुरोध किया, किन्तु नवम्बर 2006 तक कोई सीमांकन नहीं किया गया। इतने में उप-मण्डलीय मैजिस्ट्रेट नूरपुर द्वारा मार्च 2006 में एक छापा मारा गया जिससे उद्घाटित हुआ कि पंजाब के 40 स्टोन क्रशर चक्की खड्ड से अवैध खनन में जुटे हुए थे। अवैध खनन में लगे इन 40 स्टोन क्रशरों द्वारा की गई हानि की मात्रा और भी अधिक होगी

इसे इंगित करने पर विभाग ने बताया कि चक्की खड्ड का सीमांकन मार्च 2007 में पूर्ण किया गया, जिसके अनुसार चक्की खड्ड का लगभग पूर्ण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के क्षेत्राधिकार में पड़ता था। इस प्रकार सीमांकन में विलंब के फलस्वरूप सरकार को अप्रैल 2003 से मार्च 2006 तक 8.40 करोड़ रूपय[Ψ] के न्यूनतम राजस्व से वंचित होना पड़ा।

5.2.17 लघु खनिजों की रॉयल्टी की दरों का संशोधन न करना

खनन एवं खनिज विकास तथा विनियम अधिनियम राज्य सरकार को लघु खनिजों के संदर्भ में नियम बनाने हेतु अर्थात् रॉयल्टी की दरों, फीस, नियत किए गए किरायों तथा जुर्मानों की दरें, आदि निर्धारित करने के विषय में शक्तियां प्रदान करता है।

लघु खनिजों के संदर्भ में रॉयल्टी की दरें 25 जून 1999 से संशोधित नहीं की गई हैं। तबसे केन्द्रीय सरकार ने 12 सितम्बर 2000 तथा 14 अक्तूबर 2004 को मुख्य खनिजों की रॉयल्टी की दरें दो बार संशोधित कर दी हैं।

ƒ बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, सोलन तथा ऊना

Ψ राशि विभाग के अभिलेखों में उल्लिखित थी

किन्तु राज्य सरकार ने लघु खनिजों की दरें संशोधित नहीं की। रॉयल्टी की दरें संशोधित न करने से राज्य राजकोष 3.98[π] करोड़ रू0 के राजस्व से वंचित रहा।

इसे इंगित करने पर विभाग ने जुलाई 2007 में बताया कि मार्च 2006 में राज्य सरकार को दरों के संशोधन से सम्बन्धित भेजा गया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

5.2.18 खनन स्थलों की नीलामी न करना/पंचायतीराज संस्थाओं की अंतर्ग्रस्तता

हिमाचल प्रदेश तल खनन नीति के दिनांक जून 2003 के संशोधनों के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभा अथवा पंचायत की पूर्व सिफारिश के बिना किसी भी व्यक्ति को अल्पकालीन परमिट या निविदा या नीलामी अथवा अनुबंध संस्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा कोई रूपात्मकताएं निर्धारित नहीं की गई थी।

यह पाया गया कि कांगड़ा जिला में 24 खनन स्थल नौ पंचायतों के क्षेत्राधिकार में पड़ते थे। मार्च 2004 तथा मार्च 2006 के मध्य सभी पंचायतों को उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले खननों को पट्टा संस्वीकृत करने के लिए अपनी सिफारिशें भेजने का अनुरोध किया गया, किन्तु किसी भी पंयायत से ऐसी सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई। विभाग ने भी ऐसी सिफारिशों हेतु सम्बन्धित पंचायतों के साथ मामले का अनुसरण नहीं किया, अत: कोई भी खनन स्थल पट्टे पर नहीं दिए जा सके। समय अनुसूची जिसके भीतर पंचायत से सिफारिशें प्राप्त की जानी थी सहित सिफारिशें संस्वीकृत करने के संदर्भ में विभाग द्वारा रूपातमकताएं निर्धारित करने में विफल रहने के फलस्वरूप अक्तूबर 2003 से मार्च 2006 तक की अवधि के दौरान राज्य का राजकोष 4.62 लाख रू0 की न्यूनतम रॉयल्टी से वंचित रहा।

इसे इंगित करने पर विभाग ने जुलाई 2007 में बताया कि 16 सम्बन्धित पंचायतों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही थी, जबकि शेष आठ मामलों में प्रचालन प्रारम्भ कर दिया गया था। किन्तु, प्रचालन की तिथि सूचित नहीं की गई। तथापि, इस विषय में की गई आगामी कार्रवाई पर प्रतिवेदन प्रतीक्षित था।

5.2.19 शास्ति से सम्बन्धित प्रावधानों का संशोधन न करना

फरवरी 2004 में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नदी तल खनन नीति सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अनुसार 5000 रू0 का न्यूनतम जुर्माना प्रभारित करके अवैध खनन अथवा परिवहन के मामले का शमन किया जा सकता था। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश तल खनन नीति के दिशा निर्देशों में आवश्यक संशोधन किया जाना था।

सात* जिला कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि मार्च 2004 से मार्च 2006 तक पता लगाए गए 356 मामलों का सिविल न्यायालयों द्वारा 5000 रू0 के न्यूनतम जुर्माने के बजाय कम राशि का जुर्माना लगाकर निर्णय किया गया। सरकार द्वारा फरवरी 2004 से नियमों में तत्सम्बन्धी संशोधन न करने के कारण ऐसा हुआ। इसके फलस्वरूप सरकार को 15.38 लाख रू0 के राजस्व की हानि हुई।

5.2.20 संभाव्यता प्रतिवेदनों का कार्यान्वयन न किया जाना

नदी तल खनन नीति के दिशा निर्देशों के अनुसार खनिजों की उपलब्धता भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, भूमि/तट आदि के कटाव के संदर्भ में किसी विशिष्ट नदी तल में कार्य करने हेतु भू-वैज्ञानिक स्कंध द्वारा एक संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जाना था। तद्नुसार मार्च 2004 में भू-वैज्ञानिक स्कंध द्वारा हमीरपुर जिला की

π 2002-03: 1.35 करोड़ रू0; 2003-04: 1.38 करोड़ रू0; 2004-05: 0.72 करोड़ रू0; 2005-06: 0.53 करोड़ रू0; मुख्य खनिजों की रॉयल्टी की दरों में आनुपातिक वृद्धि के आधार पर गणना की गई

* बिलासपुर: 160; हमीरपुर: 28; कांगड़ा: 15; सिरमौर: 33; शिमला: 50; सोलन: 9 तथा ऊना: 61

नदियों/उनके भागों का एक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया गया। इस संभाव्यता प्रतिवेदन के अनुसार 18 नदियों/खड्डों जिनसे गोल पत्थरों बजरी तथा रेत की प्रतिवर्ष पुन:पूर्ति होती रहती थी, वार्षिक प्रतिपूर्ति और इन्हें उठाने के लिए बिना किसी कठिनाई के अनुमत किया जा सकता था, की गणना 55,99,130 एमटी की गई। प्रतिवेदन एक अधिप्रमाणित सविस्तृत अध्ययन था, जो वर्ष 2004-05 से आगे उस जिला की खनन नीति/योजना में भविष्य में सहायता तथा पथ प्रदर्शन कर सकता था।

खनन अधिकारी,हमीरपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि नदी के तलों/खड्डों की नीलामी के समय विभाग ने हमीरपुर जिला की नदी के तलों का संभाव्यता प्रतिवेदन नीलामी[♦] समिति के ध्यान में नहीं लाया। परिणामत: नीलामी समिति चयनात्मक खनन के पुराने रूढ़िवादी दृष्टिकोण के साथ चिपकी रही तथा अप्रैल 2004 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान सम्वव्यता प्रतिवेदन के अनुसार वसूल किए जाने वाले 7.95 करोड़ रू0 के प्रति 1.52 करोड़ रू0 में नदी के तलों की नीलामी कर दी। नदी के तलों/खड्डों में कार्य करने से से सम्बन्धित संभाव्यता प्रतिवेदनों का कार्यान्वयन न करने के कारण 6.43[∇] करोड़ रू0 की सीमा तक के राजस्व में कमी आई।

इसे इंगित करने पर खनन अधिकारी हमीरपुर ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया कि वार्षिक समीक्षा/पुनरीक्षण के समय मामला नीलामी/संयुक्त निरीक्षण समिति के ध्यान में लाया जाएगा।

5.2.21 नदी/खड्ड की नीलामी न करना

वन विभाग ने अगस्त 1998 तथा दिसम्बर 1998 की अधिसूचनाओं के माध्यम से स्पष्ट किया कि "गैर-मुमकिन[⊕]", चरागाह बिला दरखतन[♣]" तथा "ना काबिल चरांद[f]" एफ सी ए लागू करने के प्रयोजनार्थ वन भूमि नहीं थी। तथापि, वन विभाग द्वारा 9 अगस्त 2003 को उपरोक्त अधिसूचनाओं का निराकरण कर दिया गया। इस प्रकार अगस्त 1998 से अगस्त 2003 के दौरान सभी खनिज योग्य स्थलों की नीलामी हेतु उपलब्ध/खुले थे।

पांच क्षेत्रीय इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रकट हुआ कि विभाग ने अगस्त 1998 से अगस्त 2003 के दौरान यह अवसर प्रयुक्त नहीं किया। परिणामत: 77.76[β] लाख रू0 (पूर्व नीलामी राशियों पर आधारित) की रॉयल्टी वाले भूमि की उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत पड़ने वाले 86[ρ] खनिज योग्य स्थलों की नीलामी नहीं की गई तथा ये दोहन रहित रहे। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार 77.76 लाख रू0 के राजस्व से वंचित रही।

जुलाई 2007 में विभाग ने सूचित किया कि अब सभी खनन अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों की शिनाख्त करने तथा एफसीए के अन्तर्गत वन मण्डल अधिकारियों से बाधा निवारण हेतु मामले प्रस्तुत करके की अनुमति प्राप्त करने के निदेश जारी किए गए हैं।

♦ सम्बन्धित उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी द्वारा शासित

∇ सम्भाव्यता प्रतिवेदन की मात्रा के अनुवार वसूलीयोग्य रॉयल्टी = 7.95 करोड़ रू0
घटाएं : वसूल की गई रॉयल्टी = 1.52 करोड़ रू0
(2004-05: 3.17 करोड़ रू0 तथा 2005-06: 3.26 करोड़ रू0)

⊕ भूमि जिसके लिए कोई भू-राजस्व निर्धारित/वसूल नहीं किया गया है

♣ बिना वृक्षों की भूमि जहां पशु चरते हैं

f भूमि जहां पर पशु नहीं चरते हैं

β अप्रैल 2001 से अगस्त 2003 की अवधि समीक्षा हेतु

ρ बिलासपुर: 10; चम्बा: 14; मण्डी: 24; सोलन: 20 तथा शिमला: 18

5.2.22 लघु खनिजों की प्रतिभूति राशि जब्त न करना

संविदा अनुबंध की शर्तों में यह व्यवस्था है कि यदि देय तिथि की संविदा राशि की अदायगी करने में चूक की जाती है तो सरकार द्वारा एक मास का नोटिस देकर प्रतिभूति राशी को जब्त करने सहित संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

दो क्षेत्रीय इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 17[α] बोलीदाता संविदा राशि की निर्धारित किस्तों की अदायगी करने में विफल रहे विभाग ने संविदा को समाप्त करने तथा 3.53 लाख रू0 की जमा प्रतिभूति को जब्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

इसे इंगित करने पर विभाग ने जुलाई 2007 में बताया की हमीरपुर जिला के छ: मामलों में प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गई थी तथा राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत जमा करवा दी गई थी, जबकि एक मामले में प्रतिभूति राशि का प्रत्यर्पण कर दिया गया था। शेष तीन मामलों में आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी। खनन अधिकारी, कांगड़ा के मामले में विभाग ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही थी।

5.2.23 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

5.2.23.1 विवरणियों की संवीक्षा न करना

विभाग में किए जा रहे क्रिया कलापों पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखने तथा अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों का सही रूप से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने पुराने बकायों के त्रैमासिक प्रतिवेदन, मासिक राजस्व प्राप्तियों के विवरण, अवैध खनन की जांच आदि करने के लिए छापों सम्बन्धी का मासिक विवरण जैसी आवधिक विवरणियां निर्धारित की थी।

यह पाया गया कि यद्यपि निदेशालय में त्रैमासिक बकाया प्रतिवेदन प्राप्त किए जा रहे थे, किन्तु उनकी संवीक्षा नहीं की जा रही थी तथा क्षेत्रीय इकाइयों को कोई दिशा निर्देश/निदेश नहीं दिए गए, चाहे इन्होंने नगण्य अथवा शून्य वसूलियां ही क्यों न दर्शाती हों।

5.2.23.2 विभागीय रूप से मुद्रित "एम" फार्म जारी न करना

नियमों में जाली "एम" फार्मों के उपयोग का परिहार करने हेतु विभागीय रूप से "एम" क्रम संख्या वाले मुद्रित फार्मों की व्यवस्था नहीं की गई थी।

इसके फलस्वरूप खनिज उपयोक्ता अधिकरणों द्वारा किए गए खनिज दोहनों पर विभागीय नियंत्रण नहीं हो सका।

5.2.24 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति प्रचालित नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा किसी भी क्षेत्रीय इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई। यद्यपि एक अनुभाग अधिकारी (वित्त तथा लेखा) की व्यवस्था की गई है, किन्तु वह निदेशालय

[α] हमीरपुर: 10 तथा कांगड़ा: 7

स्तर पर नित्यचर्चा के कार्य करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा के कर्तव्य निर्धारित करने वाली नियमावली को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

रॉयल्टी के संदर्भ में खनन अधिकारी, शिमला द्वारा अप्रैल 2004 से मार्च 2006 के दौरान प्राप्त किए गए 20 लाख रू0 की कुल राशि के बाबन बैंक ड्राफ्ट चार दिन से पांच मास तक के मध्य के विलम्ब से जमा करवाए गए।

इसे इंगित करने पर विभाग ने जुलाई 2007 में सूचित किया कि खनन अधिकारी शिमला के पास केवल एक लिपिक था जो खनन से सम्बन्धित कार्यकलापों तथा रोकड़/प्राप्तियों के अभिरक्षक के कार्य कर रहा था तथा अधिक कार्य होने के कारण ड्राफ्टों/चैकों पर समय पर प्रक्रिया नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि अब कार्यालय द्वारा कोष में समय पर ड्राफ्ट/चैक जमा करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

5.2.25 निष्कर्ष

उपरोक्त से यह देखा जाएगा कि विभाग में आंतरिक नियंत्रण दुर्बल थे। एन एम पी के अनुरूप किसी दीर्घकालीन योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। इस कारण से राज्य में उपलब्ध खनिज स्रोतों का अन्वेषण निर्धारित नहीं किया जा सका। उद्योग विभाग का अन्य विभागों के साथ समन्वय का अभाव था, जिसके फलस्वरूप पट्टों की विलंब से संस्वीकृति हुई तथा नदियों के तलों का विलंब से सीमांकन हुआ। इस प्रकार खनिज स्रोत टैप नहीं किए जा सके जिससे राज्य राजस्व से वंचित रहा। लघु खनिजों की दरें तथा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का भी संशोधन नहीं किया गया, जैसा कि अपेक्षित था।

5.2.26 सिफारिशें

समीक्षा में पाई जाने वाली टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नवत् सिफारिशों का कार्यान्वयन पर विचार कर सकती है:

- उपलब्ध खनिज स्रोतों के दोहन लक्ष्यों के आवधिक निर्धारण के साथ दीर्घकालीन राज्य खनिज नीति को एनएमपी के प्रावधानों के अनुरूप अन्तिम रूप दिया जा सकता है।
- अवैध रूप से खनिज निकालने खनिजों के परिवहन के राजस्व, वन तथा लोक निर्माण पर नियंत्रण रखने के लिए जैसे अन्य विभागों के साथ समुचित समन्वय की आवश्यकता है।
- राजस्व के रिसन/हानि का निवारण करने के लिए रॉयल्टी के उपयुक्त उद्ग्रहण तथा संग्रहण की विद्यमान प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक सुदृढ़ तन्त्र विकसित करने की आवश्यकता है। पट्टाधारकों द्वारा विभाग को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों की शुद्धता सुनिश्चित् करने की आवश्यकता है, जिसके लिए विभाग तथा खनन नियंत्रक तथा आईबीएम के मध्य समन्वय पर विचार किया जाए।
- खनिजों पर आधारित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से प्रारम्भ करने के लिए नतैक्य ज्ञापनों के प्रावधानों को और कठोर बनाने की आवश्यकता है।

5.2.27 आभार अभिव्यक्ति

हम विभाग तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं पर सहयोग प्रदान करने के लिए उनके धन्यवादी हैं। 6 अगस्त 2007 को निर्गम संगोष्ठी में अपर मुख्य सचिव (उद्योग) के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार ने अधिकांश लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए सरकार को देय सभी राशियों की समय पर वसूली, पंचायतों आदि से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने तथा एफसीए के अन्तर्गत पड़ने वाले मामलों को निपटाने के लिए समय पर कार्रवाई प्रारम्भ करने, लघु खनिजों की दरों का समय पर संशोधन करने आंतरिक नियंत्रणों तथा विभाग के अनुश्रवण पहलुओं का सुदृढ़ीकरण करने का आश्वासन दिया। समीक्षा का प्रारूपण करते हुए विभाग तथा सरकार से प्राप्त हुए उत्तरों पर विचार किया गया है।

ख स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस

5.3 आवास ऋणों पर गलत छूट

भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत् जारी की गई मार्च 2002 तथा अगस्त 2004 की अधिसूचनाओं के अनुसार बैंकों से गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त करने, अपने उपयोग के लिए आवास का निर्माण अथवा आवास खरीदने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किए गए रेहन विलेखों को स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अदायगी से छूट प्राप्त थी। तथापि, भारतीय जीवन बीमा निगम, आवासीय वित्त लिमिटेड से ऋण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को यह छूट प्राप्त नहीं थी।

12[+] उप-पंजीकारों के अभिलेखों की नमूना जांच से मई तथा नवम्बर 2006 के मध्य उदघाटित हुआ कि राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों के 45 कर्मचारियों जिन्होंने 2005[α] के दौरान जीवन बीमा निगम, आवास वित्त लिमिटेड से 1.62 करोड़ रू0 के गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त किए थे उनके मामले में पंजीयन प्राधिकारियों ने स्टांप शुल्क तथा पंजीकार फीस की अदायगी से छूट अनुमत की। प्रदान की गई छूट गलत थी तथा इसके फलस्वरूप 5.70 लाख रू0 के स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस की वसूली नहीं हो पाई।

इसे इंगित करने पर उप-पंजीयक, सरकाघाट तथा सुन्दरनगर ने 2.60 लाख रू0 के अन्तर्ग्रस्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा सितम्बर 2006 व जून 2007 के मध्य बताया कि 1.45 लाख रू0 की वसूली की जा चुकी थी तथा बकाया राशि प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे थे शेष उप-पंजीयकों से रिपोर्ट तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2007)।

मामला जून तथा नवम्बर 2006 के मध्य विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

5.4 स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण न करना

केन्द्रीय सरकार तथा इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा बैंकों के कर्मचारियों द्वारा बैंकों से आवास प्रयोजनार्थ ऋण लेने के लिए निष्पादित किए गए रेहन विलेख स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस से मुक्त नहीं थे। ऐसे मामलों में डेढ़ प्रतिशत की दर पर स्टांप शुल्क तथा दो प्रतिशत की दर पर पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी।

+ बंजार: 2 मामले; भोरंज: 1 मामला; घुमारवीं: 2 मामले; जैसिंहपुर: 1 मामला; करसोग: 1 मामला; कुल्लू: 2 मामले; मण्डी: 10 मामले; पांवटा साहिब: 1 मामला; सरकाघाट: 7 मामले; शिमला (ग्रामीण): 4 मामले; सुन्दरनगर: 12 मामले तथा सुन्नी: 2 मामले

α 1.1.2005 से 31.12.2005

14 उप-पंजीयकों[β] के अभिलेखों की नमूना जांच से मई 2006 तथा नवम्बर 2006 के मध्य प्रकट हुआ कि केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त निकायों/बैंकों के 41 कर्मचारियों जिन्होंने 2005 के दौरान 1.62 करोड़ रू0 के गृह निर्माण ऋण प्राप्त किए थे, के मामले में पंजीयन प्राधिकारियों ने 5.67 लाख रू0 के स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अदायगी से छूट अनुमत की। इसके अतिरिक्त उप-पंजीयक कुमारसैन ने किसी कारण के उल्लिखित किए बिना एक मामले में स्टांप शुल्क तथा एक अन्य मामले में पंजीकरण फीस प्रभारित नहीं की। इसके फलस्वरूप 0.12 लाख रू0 की अल्प-वसूली हुई। स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण न करने के फलस्वरूप 5.79 लाख रू0 के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हो पाई।

इसे इंगित करने पर जनवरी 2007 में उप-पंजीयक, बिलासपुर ने बताया कि राशियों की वसूली करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। शेष उप-पंजीयकों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

जून 2006 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

5.5 सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण

परते[Ψ] तैयार करने हेतु *पटवारी* उत्तरदायी होते हैं। महानिरीक्षक पंजीयन के स्पष्टीकरण (जून 1998) के अनुसार भूमि का मूल्यांकन राजस्व अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की किस्म के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त औसत मूल्य बिक्री विलेखों के संदर्भ में पूर्ववर्ती 12 मासों के दौरान किए नामांतरण पर अथवा सौदे में निर्धारित प्रतिफल मूल्य जो भी अधिक हो, पर आधारित होता है। पंजीयन प्राधिकारी को बिक्री विलेखों में दर्शायी गई प्रतिफल राशि का सम्बन्धित पटवारियों द्वारा तैयार किए गए *परता* के साथ सत्यापन करना भी अपेक्षित है। यदि पंजीयन अधिकारी द्वारा यह विश्वास करने के लिए कोई कारण है कि लिखित प्रपत्र में सम्पत्ति का मूल्य अथवा सौदे में तय की कई प्रतिफल राशी सही उल्लिखित नहीं की गई, तो वह पटवारी द्वारा तैयार किया गया यह भूमि का मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन है। बाजारी मूल्य की गणना विगत वर्ष में बेची गई भूमि के विलेख में प्रदर्शित सौदे के प्रतिफल (सम्मत) मूल्य अथवा बाजारी मूल्य जो भी अधिक हो, पर की जाती है। लिखित प्रपत्र का पंजीयन करने के उपरांत प्रतिफल तथा उपयुक्त देय शुल्क के मूल्यांकन निर्धारण करने के लिए समाहर्ता को भेज सकता है।

5.5.1 उप-पंजीयक, पच्छाद् के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अक्तूबर 2006 में बटोल गांव में.43.18 बीघा भूमि से एक बिक्री विलेख[♦] 36,000 रू0 में 16 मार्च 2005 को पंजीकृत किया गया। पंजीयन की तिथि को उक्त भूमि की *परता* के अनुसार बाजारी मुल्य 4.10 करोड़ रू0 था। तदनुसार 49.22 लाख रू0 का स्टांप शुल्क तथा 0.25 लाख रू0 की पंजीकरण फीस उदग्राह्य थी। विलेख के पंजीयन के समय पंजीयन अधिकारी ने स्टांप शुल्क के रूप में 0.04 लाख रू0 तथा पंजीकरण फीस के रूप में 0.01 लाख रू0 का उद्ग्रहण किया। इसके फलस्वरूप 49.42 लाख रू0 के स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अल्पोदग्रहण हुआ।

इसे इंगित करने पर महानिरीक्षक पंजीयन ने मई 2007 में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा मामले की जांच करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निदेश देते हुए बताया कि बाजारी मूल्य के इस गलत निर्धारण के कारण सरकार को 49.42 लाख रू0 की हानि हुई।

β बिलासपुर, चम्बा, घुमारवीं, हमीरपुर, ज्वाली, जुब्बल, कुल्लू, कुमारसैन, मण्डी, निरमण्ड, पालमपुर, सरकाघाट, शाहपुर तथा शिमला (ग्रामीण)

Ψ पटवारी द्वारा किया गया यह भूमि का मूल्यांकन प्रतिवेदन है। बाजारी मूल्य की गणना सौदे में तथा मूल्य अथवा विगत वर्ष में बेची गई भूमि के विलेख में दर्शायी गई राशि के बाजारी मूल्य, जो भी अधिक हो, पर की जाती है

♦ सं0 83/05

5.5.2 20▲ उप-पंजीयकों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान अप्रैल 2006 तथा नवम्बर 2006 के मध्य यह पाया गया कि 2005 के दौरान पंजीकृत 273 प्रलेखों में सम्पत्तियों की प्रतिफल राशि इलाकों के सम्बन्धित पटवारियों द्वारा तैयार की गई परतों में दर्शाए गए औसत मूल्य से बहुत कम थी। 40.20 करोड़ रू0 के बाजारी मूल्य के प्रति विलेखों में उल्लिखित की गई राशि 19.47 करोड़ रू0 थी। पंजीयन प्राधिकारी प्रलेखों का पंजीयन करते समय प्रतिफल राशि का परतों की राशि के साथ सहसंबंध बनाने में विफल रहे। इसके फलस्वरूप 203.53 लाख रू0 के स्टांप शुल्क तथा 9.81 लाख रू0 की पंजीकरण फीस की अल्पवसूली हुई।

इसे इंगित करने पर उप-पंजीकार, बरोह ने अप्रैल 2007 में सूचित किया कि 0.95 लाख रू0 में से 0.41 लाख रू0 की राशि वसूल की जा चुकी थी तथा शेष राशि की वसूली की जा रही थी। शेष उप-पंजीयकों से आगे के प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2007)।

गलत परता तैयार करने के कारण हानि

5.5.3 अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पांच▲ उप-पंजीयकों के इलाकों में पटवारियों द्वारा तैयार की गई परतें गलत थीं। पटवारियों द्वारा प्रत्येक परत तैयार करने के लिए औसत मूल्य निकालते समय भूमि कम मूल्य लिया गया था। परिणामत: 2005 में निष्पादित किए गए 91 विलेख 6.59 करोड़ रू0 के

बजाय 5.18 करोड़ रू0 बिक्री मूल्य पर पंजीकृत किए गए। इसके फलस्वरूप 12.28 लाख रू0 के स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की कम वसूली हुई, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रूपए)

उप-पंजीयक कार्यालय का नाम	मामलों की संख्या	लागू होने वाले वास्तविक मूल्य पर बाजारी मूल्य	निष्पादित किए गए हस्तांतर विलेख के अनुसार प्रतिफल मूल्य	राजस्व की हानि		योग
				स्टांप शुल्क	पंजीकरण फीस	
शिमला (शहरी)	38	455.42	407.67	2.47	0.44	2.91
ज्वाली	24	22.88	14.51	0.71	0.17	0.88
इंदौरा	15	46.64	40.62	0.66	0.12	0.78
धर्मशाला	13	128.98	54.60	6.27	0.69	6.96
पच्छाद	1	5.54	0.22	0.64	0.11	0.75
योग	91	659.46	517.62	10.75	1.53	12.28

इसे इंगित करने पर सम्बन्धित उप-पंजीयकों ने बताया कि सम्बन्धित प्रलेखों की जांच की जाएगी। आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

मामला विभाग तथा सरकार को मई 2006 तथा जनवरी 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

▲ बरोह, बिलासपुर, चम्बा, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, इन्दौरा, जुब्बल, कुल्लू, मनाली, मण्डी, नाहन, नालागढ़, पच्छाद, पांवटा साहिब, पालमपुर, शिमला (ग्रामीण), शिमला (शहरी), सोलन तथा सुन्दरनगर

▲ धर्मशाला, इन्दौरा, ज्वाली, पच्छाद तथा शिमला (शहरी)

ग. सामान्य प्रशासन विभाग

5.6 अनाधिकृत अधिभोगियों से क्षतिपूर्ति की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1994 में यह प्रावधान है कि यदि किसी आवास में रहने की अनुमत अवधि के उपरांत भी आवास आवंटिती के कब्जे में ही रहता है तो ऐसा आवंटिती आवास को प्रयुक्त करने तथा उसका अधिभोग करने के लिए 12 रू0 प्रति वर्ग फुट की दर पर क्षतिपूर्ति की अदायगी करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी बाहरी स्थान को स्थानांतरण के मामले में दो मास की अवधि तक आवास को अपने कब्जे में रखने अथवा तैनाती के नए स्थान पर आवंटन हो जाने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुमत है।

सम्पदा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान अक्तूबर 2006 में यह पाया गया कि शिमला के बाहर स्थानांतरित होने वाले दो आवंटितियों को क्रमश: सितम्बर 2005 तथा जून 2006 तक सरकारी आवास अपने कब्जे में रखने की अनुमति प्रदान की गई। इसके उपरांत आवंटितियों ने सरकारी आवास खाली नहीं किए तथा अनधिकृत रूप से आवास अपने कब्जे में रखे। उनसे अक्तूबर 2005 तथा अक्तूबर 2006 के भीतर पड़ने वाली अवधि हेतु 4.90 लाख रू0 की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं की गई। विभाग ने सरकारी आवासों को अपने कब्जे में रखने की अनुमत अवधि के उपरान्त अधिभोगियों को वहां से निष्कासित करने हेतु न तो कोई कार्रवाई की और नही क्षतिपूर्ति के संदर्भ में वसूली की कोई मांग उठाई।

इसे इंगित करने पर विभाग ने जनवरी 2007 में सूचित किया कि नियमानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को क्षतिपूर्ति की अदायगी करने हेतु सूचित कर दिया गया था। वसूली से सम्बन्धित आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

मामला नवम्बर 2006 में सरकार को प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

घ. सहकारिता विभाग

5.7 सरकारी शेयर पूंजी का मोचन न करना/अल्प मोचन करना

राज्य सरकार ने जनवरी 1996 में निर्णय लिया कि सहकारिता समितियों के मामले में उसके पूंजीगत शेयर के एक बार 5 लाख रू0 के इष्टतम स्तर पर पहुंचने पर सरकारी अंशदान का शेयर पांच प्रतिशत की दर पर मोचनीय होगा। सरकारी पूंजीगत शेयर का इष्टतम स्तर जनवरी 2003 से बढ़ा कर 7 लाख रू0 कर दिया गया।

सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, कुल्लू की लेखापरीक्षा के दौरान अगस्त 2006 में यह पाया गया कि 1999-2000 तथा 2005-06 के मध्य पड़ने वाली अवधि के दौरान चार सहकारी समितियों के संदर्भ में शेयर पूंजी के सरकारी अंशदान का इष्टतम स्तर 30.12 करोड़ रू0 की सकल राशि का हो गया। परिणामत: 1999-2000 तथा 2005-06 के मध्य 1.51 करोड़ रू0 की शेयर पूंजी मोचनीय हो गई। विभाग ने निर्धारित दर पर सरकारी शेयर पूंजी के मोचन हेतु सहकारी समितियों को आग्रह नहीं किया, किन्तु केवल 65 लाख रू0 की वसूली की, जिसके फलस्वरूप 86 लाख रू0 की सरकारी शेयर पूंजी का मोचन नहीं हुआ/अल्प मोचन हुआ। इसमें से 70 लाख रू0 2001-02 से 2005-06 के पांच वर्षों से सम्बन्धित थे।

इसे इंगित करने पर जून 2007 में विभाग ने सूचित किया कि 16.27[π] लाख रू0 की राशि की वसूली हेतु प्रयास

[π] 1999-2000 से 2000-01 वर्षों से सम्बन्धित 3.07 लाख रू0

किए जा रहे थे। वसूली से सम्बन्धित आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

मामला सरकार को सितम्बर 2006 में प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)।

(सुमन सक्सेना)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

©
भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक
2007

मूल्य:
भारत में: 65 रूपये
विदेश में : यू.एस. $ 5

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुदित तथा प्रकाशित

www.cag.gov.in